अध्याय II
वित्तीय प्रबन्धन एवं बजटरी नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

विनियोग लेखे, विनियोग अधिनियमों के साथ लगी अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट विभिन्न प्रयोजनों के लिये दत्तमत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों की राशि की तुलना में सरकार के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए दत्तमत और प्रभारित व्यय के लेखे होते हैं। ये लेखे मूल बजट अनुमान, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्पण एवं पुनर्विनियोजन को पृथक-पृथक रूप से दर्ज करते हैं तथा बजट के प्रभारित एवं दत्तमत मदों के सम्बन्ध में विनियोग विधेयक द्वारा प्राधिकृत व्यय के समक्ष विभिन्न निर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजीगत एवं राजस्व व्यय को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से विनियोग लेखे वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय प्रावधानों के अनुश्रवण को सरल बनाते हैं और इस प्रकार ये वित्त लेखे के पूरक होते हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित किये जाने का प्रयत्न किया जाता है कि क्या विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत किया गया व्यय, विनियोग अधिनियम के अधीन दिये गये प्राधिकार के अन्तर्गत है और उसी प्रकार प्रभारित किया गया है जैसा संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत प्रभारित किया जाना चाहिये। यह भी सुनिश्चित किये जाने का प्रयत्न किया जाता है कि क्या किया गया व्यय, विधि, सम्बन्धित नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है।

राज्य बजट नियमावली (राबनि) के अनुसार वित्त विभाग विभिन्न विभागों से सूचनायें, जिन पर इनके अनुमान आधारित होते हैं, प्राप्त कर वार्षिक बजट तैयार करने के लिये उत्तरदायी हैं। प्राप्तियों एवं व्ययों के विभागीय अनुमान नियंत्रण अधिकारियों द्वारा विभागाध्यक्षों से परामर्श कर तैयार किये जाते है और निर्धारित तिथियों तक वित्त विभाग को प्रस्तुत किये जाते हैं। तत्पश्चात, वित्त विभाग अनुमानों का समेकन तथा विस्तृत अनुमानों एवं अनुदानों को तैयार करता है। जहाँ तक संभव हो व्यय के अनुमान यथार्थ हाने चाहिए। किसी अनुमान में परिहार्य आधिक्य उसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता है जिस प्रकार वास्तविक व्यय में आधिक्य। बजट प्रक्रिया परिकल्पित करती है कि किसी निश्चित मद में व्यय के अनुमान के अनुसार उपलब्ध कराई गई राशि वह राशि होनी चाहिये जो कि वर्ष में व्यय की जा सकती है तथा यह ना तो अधिक होनी चाहिए और ना ही कम।

2.2 विनियोग लेखाओं का सारांश

वर्ष 2013-14 के दौरान 55 अनुदानों/विनियोगों के समक्ष किये गये वास्तविक व्यय की सारीकृत स्थिति, नीचे दी गयी **तालिका 2.1** के अनुसार थी:

तालिका 2.1: मूल/अनुपूरक प्रावधानों के समक्ष वास्तविक व्यय

(₹करोड़ में)

व्यय की प्रकृति		मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
दत्तमत	I-राजस्व	68,427.61	6,329.64	74,757.25	68,157.01	(-) 6,600.24
	II-पूँजीगत	14,943.41	2,115.52	17,058.93	14,456.62	(-) 2,602.31
	III-कर्ज तथा उधार	189.01	649.96	838.97	811.21	(-) 27.76
योग दत्तमत		**83,560.03**	**9,095.12**	**92,655.15**	**83,424.84**	**(-) 9,230.31**
प्रभारित	IV-राजस्व	*9,339.38*	*25.19*	*9,364.57*	*9,177.64*	*(-) 186.93*
	V-पूँजीगत	-	*0.15*	*0.15*	*0.15*	-
	VI-लोक ऋण पुनर्भुगतान	*4,132.29*	-	*4,132.29*	*4,115.62*	*(-) 16.67*
योग प्रभारित		***13,471.67***	***25.34***	***13,497.01***	***13,293.41***	***(-) 203.60***
आकस्मिकता निधि को विनियोग		300.00	-	300.00	-	(-) 300.00
कुल योग		**97,331.70**	**9,120.46**	**1,06,452.16**	**96,718.25**[1]	**(-) 9,733.91**

स्रोत: विनियोग लेखे

तालिका 2.1 यह इंगित करती है कि वर्ष 2013-14 के दौरान लिया गया अनुपूरक प्रावधान ₹ 9,120.46 करोड़ अनावश्यक रहा क्योंकि वास्तविक व्यय मूल अनुदान/विनियोग के स्तर तक भी नहीं पहुँच पाया। ₹ 9,733.91 करोड़ की समग्र बचत, राजस्व अनुभाग के 1 विनियोग और पूँजीगत अनुभाग के 1 अनुदान के समग्र आधिक्य ₹ 0.81 करोड़ से प्रतिसादित, राजस्व अनुभाग की 49 अनुदानों एवं 45 विनियोगों तथा पूंजीगत अनुभाग की 34 अनुदानों एवं 4 विनियोगों में बचत का परिणाम थी।

[1] ये सकल व्यय के आँकड़े है जिनमें व्यय में कमी के रूप में समायोजित वसूलियाँ सम्मिलित नहीं है (राजस्व: ₹ 1,825.06 करोड़ तथा पूँजीगत: ₹ 792.11 करोड़, कुल: ₹ 2,617.17 करोड़)।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा नियंत्रण अधिकारियों को बचतों/आधिक्यों के महत्वपूर्ण अंतरों के कारण स्पष्ट करने के अनुरोध के साथ, विस्तृत विनियोग लेखे प्रेषित किये गये (जून एवं अगस्त 2014)। 1,643 उप-शीर्षो में से 962 उप-शीर्षो (बचत: 680 तथा आधिक्य: 282) में अन्तरों के स्पष्टीकरण प्रतीक्षित रहे (नवम्बर 2014)।

2.3 वित्तीय जवाबदेयता एवं बजट प्रबन्धन

2.3.1 आवंटित प्राथमिकताओं की तुलना में विनियोग

वित्तीय वर्ष के दौरान बजट आवंटन में व्यय के संदर्भ में विचलन था, जिससे बजट प्रक्रिया की प्रत्येयता, बजट अनुश्रवण तथा प्रबंधन सूचना प्रणाली की विश्वसनीयता पर प्रश्न उत्पन्न होता है।

वर्ष 2013-14 के दौरान विनियोग लेखापरीक्षा में प्रकट हुआ कि ₹ 9,733.91 करोड़ की कुल बचतों के विरूद्ध राशि ₹ 8,448.93 करोड़ (86.8 प्रतिशत) की बचतें, प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ एवं अधिक की, 17 अनुदानों एवं 1 विनियोग में थी, जैसाकि **तालिका 2.2** में नीचे दर्शाया गया है-

तालिका 2.2: ₹ 100 करोड़ एवं अधिक की बचतों के साथ अनुदानों/विनियोगों की सूची

(₹करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	मूल	अनुपूरक	योग	वास्तविक व्यय	बचतें	विनियोग लेखे में प्रतिवेदित बचतों के कारण
	(अ) राजस्व-दत्तमत						
1	9-वन	749.21	-	749.21	560.92	188.29	पदों का रिक्त रहना तथा वृक्षारोपण कार्य की निविदायें नहीं करना। बाघ परियोजना, रणथम्भौर तथा सरिस्का के अन्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गये।
2	15-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	7,850.16	77.87	7,928.03	7,801.25	126.78	मार्च 2014 में कम व्यय होना, कर्मचारियों के लोकसभा व विधानसभा चुनाव कार्यो में व्यस्त रहने के कारण संशोधित पेंशन प्रकरणों का निपटान नहीं होना। अनुपालना के पश्चात संबंधित विभागों द्वारा पेंशन प्रकरणों को पेंशन विभाग में वापस नहीं भेजना। कुछ कोष कार्यालयों द्वारा व्यय का गलत वर्गीकरण दर्ज करना।
3	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	14,453.24	361.85	14,815.09	13,611.65	1,203.44	पदों का रिक्त रहना, भारत सरकार से कम निधियाँ प्राप्त होना तथा योजनाओं की आयोजना परिव्यय में कटौती होना।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	मूल	अनुपूरक	योग	वास्तविक व्यय	बचतें	विनियोग लेखे में प्रतिवेदित बचतों के कारण
							'माध्यमिक शिक्षा-राजकीय माध्यमिक शिक्षा-बालकों के विद्यालयों' के मामले में राशि ₹ 486.63 करोड़ की बचत के कारण सूचित नहीं किये गये।
4	26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य एवं सफाई	4,102.26	214.69	4,316.95	3,999.51	317.44	आयुर्वेद चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने के कारण, ग्रामीण आयुर्वेद चिकित्सों की परिवीक्षा अवधि में नियमित वेतन श्रृंखला नही दी गयी क्योंकि प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन था। सुनिश्चित व्यावसायिक तरक्की (एसीपी) प्रकरणों का कम संख्या में अंतिमीकरण होना। अन्तिम किश्त प्राप्त नहीं होना, भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम क्रियान्विति योजना में कटौती तथा पदों का रिक्त रहना।
5	27-पेयजल योजना	2,106.26	164.32	2,270.58	2,158.45	112.13	पदों का रिक्त रहना, निविदा प्रक्रिया में विलम्ब तथा भुगतान हेतु बिलों का प्राप्त नहीं होना।
6	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	2,352.45	34.50	2,386.95	2,175.57	211.38	सरकार द्वारा बचत के कारण सूचित नहीं किये गये।
7	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	3,372.27	187.44	3,559.71	3,253.43	306.28	मुफ्त शिक्षा के लिये लाभार्थियों की संख्या कम होना तथा गैर राजकीय विद्यालयों को कम पुनर्भरण, पदों का रिक्त रहना, सामान्य उद्देश्य हेतु अनुदानों का कम जारी करना तथा भारत सरकार से कम निधियाँ प्राप्त होना।
8	32-नागरिक आपूर्ति	454.64	389.44	844.08	721.72	122.36	पदों का रिक्त रहना, वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा अव्ययित राशि जमा कराना। अक्टूबर 2013 में 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना' के क्रियान्वयन के पश्चात 'बीपीएल अन्न योजना' का बंद होना।
9	33-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	2,912.15	2,226.06	5,138.21	4,938.15	200.06	योजनाओं के आयोजना परिव्यय में कटौती होना, पदों का रिक्त रहना, भारत सरकार से कम निधियाँ प्राप्त होना। अधिकतर प्रकरणों में बचत के कारण सूचित नहीं किये गये थे।
10	41-सामुदायिक विकास	3193.15	343.93	3,537.08	3,337.86	199.22	भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नहीं होना।
11	48-विद्युत	9,380.63	10.00	9,390.63	7,213.13	2,177.50	वर्ष के दौरान वित्तीय पुनर्संरचना पैकेज के अन्तर्गत ब्याज का वास्तविक भुगतान नहीं किया गया।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	मूल	अनुपूरक	योग	वास्तविक व्यय	बचतें	विनियोग लेखे में प्रतिवेदित बचतों के कारण
12	49-स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा एवं समनुदेशन	375.81	-	375.81	248.69	127.12	सरकार के निर्णय के अनुसार आयोजना-भिन्न शीर्षों के अन्तर्गत पंचायतों को रॉयल्टी की राशि हस्तान्तरित नहीं करना। अधिकतर प्रकरणों में बचत के कारण सूचित नहीं किये गये थे।
13	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2,691.96	263.17	2,955.13	2,692.87	262.26	पदों का रिक्त रहना, योजनाओं की आयोजना परिव्यय में कटौती, मुफ्त शिक्षा के लिए लाभार्थियों की कम संख्या, पोषक भोजन की आपूर्ति के आदेश जारी नहीं होना तथा भारत सरकार से निधियाँ अप्राप्त/कम प्राप्त होना।
	योग (अ)	**53,994.19**	**4,273.27**	**58,267.46**	**52,713.20**	**5,554.26**	
	(ब) पूँजीगत दत्तमत						
14	19-लोक निर्माण कार्य	796.83	नगण्य राशि	796.83	519.09	277.74	निर्माण कार्यों की स्वीकृति देरी से जारी करना/जारी नहीं करना/प्राप्त न होना। सरकार द्वारा अधिकतर प्रकरणों में बचत के कारण सूचित नहीं किये गये थे।
15	22-क्षेत्र का विकास	395.91	नगण्य राशि	395.91	293.67	102.24	भारत सरकार से कम निधियाँ प्राप्त होना, लक्ष्य से कम पक्के खालों का निर्माण एवं पदों का रिक्त रहना तथा भारत सरकार से भांखड़ा नहर परियोजना को चालू करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त न होना।
16	25-कोषागार व लेखा प्रशासन	300.00	-	300.00	-	300.00	राज्य सरकार द्वारा निधियों को आकस्मिकता निधि के कोष में हस्तान्तरित नहीं करना।
17	27-पेयजल योजना	2,022.38	235.08	2,257.46	2,057.05	200.41	निविदा प्रक्रिया में देरी होना। सरकार द्वारा अधिकतर प्रकरणों में बचत के कारण सूचित नहीं किये गये।
18	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	1396.01	64.00	1,460.01	1,045.02	414.99	भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नहीं होना। सरकार द्वारा अधिकतर प्रकरणों में बचत के कारण सूचित नहीं किये गये थे।
19	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	1,648.59	174.07	1,822.66	1,599.82	222.84	भारत सरकार से कम निधियाँ प्राप्त होना तथा योजनाओं की आयोजना परिव्यय में कटौती होना। सरकार द्वारा अधिकतर प्रकरणों में बचत के कारण सूचित नहीं किये गये थे।
20	46-सिंचाई	1,108.51	नगण्य राशि	1,108.51	829.33	279.18	निर्माण कार्यों का कम निष्पादन, योजनाओं की आयोजना परिव्यय में कटौती होना। चुनाव आचार संहिता के कारण कार्य योजना की प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं होना/विलम्ब से जारी होना।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	मूल	अनुपूरक	योग	वास्तविक व्यय	बचतें	विनियोग लेखे में प्रतिवेदित बचतों के कारण
21	48-विद्युत	3,118.61	664.29	3,782.90	3,138.63	644.27	योजनाओं की आयोजना परिव्यय में कटौती होना।
22.	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	1,861.40	231.62	2,093.02	1,817.94	275.08	योजनाओं की आयोजना परिव्यय में कटौती होना, कार्यों का निष्पादन कम/नहीं होना तथा भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होना। सरकार द्वारा अधिकतर प्रकरणों में बचत के कारण सूचित नहीं किये गये।
	योग (ब)	**12,648.24**	**1,369.06**	**14,017.30**	**11,300.55**	**2,716.75**	
	(स) राजस्व प्रभारित						
23.	ब्याज अदायगियां	*9,241.12*	नगण्य राशि	*9,241.12*	*9,063.20*	*177.92*	राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान लिये गये नवीन बाजार ऋणों पर ब्याज का भुगतान नहीं किया गया, तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंषा की अनुपालना में भारत सरकार द्वारा 2013-14 के लिए ब्याज दर में दी गई राहत तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 के अन्त तक प्रतिभूति धारकों द्वारा छमाही ब्याज आहरित नहीं करना।
	योग (स)	***9,241.12***	-	***9,241.12***	***9,063.20***	***177.92***	
महा योग (अ+ब+स)		**75,883.55**	**5,642.33**	**81,525.88**	**73,076.95**	**8,448.93**	

स्त्रोत: विनियोग लेखे

ऊपर चर्चित प्रकरण इंगित करते है कि इन अनुदानों के बजट नियंत्रण अधिकारियों तथा विभागों द्वारा व्ययों का बजट अनुमान तैयार करते समय राबनि के अध्याय 13 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया, परिणामस्वरूप ₹ 8,448.93 करोड़ की बचतें हुई।

कुल बचत ₹ 8,448.93 करोड़ में से, ₹ 5,554.26 करोड़ (65.7 प्रतिशत) की बचत 'राजस्व-दत्तमत' अनुभाग से संबंधित थी, जो कि व्यय के दोषपूर्ण बजट अनुमान को इंगित करती है। वृहद बचतें शिक्षा, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, नगर आयोजना, जनजाति क्षेत्रीय विकास, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, विद्युत तथा अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना के क्षेत्रों के अन्तर्गत थी। बचतों का मुख्य कारण पदों का रिक्त रहना था। रिक्त पदों के लिए बजट अनुमान रखना राबनि के पैरा 13.18.2 में उल्लेखित प्रावधानों का उल्लंघन था। अन्य कारण भारत सरकार से निधियों का कम/नहीं प्राप्त होना तथा आयोजना परिव्यय में कमी होना प्रतिवेदित किये गये थे।

राशि ₹ 2,716.75 करोड़ की बचतें (₹ 8,448.93 करोड़ का 32.2 प्रतिशत) 'पूंजीगत अनुभाग' से संबंधित थी। वृहद बचतें लोक निर्माण, नगर आयोजना एवं आंचलिक विकास, सिंचाई, विद्युत तथा अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना क्षेत्रों के अन्तर्गत थी। बचतों का मुख्य कारण भारत सरकार से

निधियों का प्राप्त नहीं होना, कार्यों का कम निष्पादन, योजनाओं के आयोजना परिव्यय में कटौती होना तथा राज्य सरकार द्वारा निधियों को आकस्मिकता निधि के कोष में हस्तान्तरित नहीं करना रहे, जोकि वर्ष के दौरान विकास कार्यों में ठहराव तथा राज्य सरकार द्वारा सम्पत्तियों का सृजन नहीं करने को इंगित करता है।

13 प्रकरणों (5 प्रकरण जोकि **तालिका 2.2** में इंगित नहीं है) में, बचतें 23 एवं 100 प्रतिशत के मध्य तथा प्रत्येक प्रकरण में ₹ 20 करोड़ और कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक रही, जैसाकि ***परिशिष्ट 2.1*** दर्शाया है।

2.3.2 निरन्तर बचतें

पिछले तीन वर्षों के दौरान 17 प्रकरणों में, प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक तथा कुल अनुदान के 10 प्रतिशत से अधिक (**तालिका 2.3**) की, निरन्तर बचतें रहीं।

तालिका 2.3: वर्ष 2011-14 के दौरान निरन्तर बचतें इंगित करने वाली अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	वर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें	बचतों का प्रतिशत	विनियोग लेखे में बताये गये बचतों के मुख्य कारण
	राजस्व-दत्तमत						
1.	3-सचिवालय	2011-12	507.18	150.34	356.84	70.4	पदों का रिक्त रहना एवं योजनाओं की अनुशंसा के लिए राज्य आयोजना बोर्ड से उचित प्रस्तावों का प्राप्त नहीं होना।
		2012-13	320.52	147.78	172.74	53.9	
		2013-14	246.19	200.99	45.19	18.4	वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय, पदों का रिक्त रहना, अनुदानों का कम जारी होना तथा चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण स्वीकृत परियोजनाओं की क्रियान्विति नहीं होना।
2.	4-जिला प्रशासन	2011-12	305.41	270.62	34.79	11.4	पदों का रिक्त रहना।
		2012-13	335.85	285.91	49.94	14.9	
		2013-14	360.14	323.53	36.61	10.2	
3.	8-राजस्व	2011-12	575.70	438.39	137.31	23.9	पदों का रिक्त रहना तथा राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाना।
		2012-13	589.74	492.38	97.36	16.5	
		2013-14	593.46	521.38	72.08	12.1	
4.	28-ग्रामीण विकास के लिये विशेष कार्यक्रम	2011-12	76.04	65.32	10.72	14.1	भारत सरकार से निधियाँ कम/नहीं प्राप्त होना।
		2012-13	140.60	55.77	84.83	60.3	सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।
		2013-14	52.01	21.62	30.39	58.4	भारत सरकार से निधियाँ कम/नहीं प्राप्त होना।
5.	35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं	2011-12	65.41	37.16	28.25	43.2	भारत की विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा बीपीएल प्रोत्साहन राशि की भुगतान प्रक्रिया जारी नहीं करने के कारण ।
		2012-13	93.45	58.20	35.25	37.7	

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	वर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें	बचतों का प्रतिशत	विनियोग लेखे में बताये गये बचतों के मुख्य कारण
		2013-14	113.33	90.89	22.44	19.8	सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।
6.	38-लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण	2011-12	94.39	82.61	11.78	12.5	पदों का रिक्त रहना।
		2012-13	99.89	78.03	21.86	21.9	सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।
		2013-14	122.31	100.48	21.83	17.8	पदों का रिक्त रहना, वेतन आधारित अनुबन्ध पर कार्य कर रहे एनजीओं के लिये निर्धारित किये गये लक्ष्य के अनुसार कार्य पूर्ण न होने, चुनाव आचार संहिता के कारण कार्य पर रोक तथा भारत सरकार द्वारा योजना को बन्द करना।
7.	43-खनिज	2011-12	149.44	91.24	58.20	38.9	सरकार द्वारा स्वीकृतियाँ जारी
		2012-13	185.53	103.42	82.11	44.3	नहीं करना।
		2013-14	148.65	123.36	25.29	17.0	पदों का रिक्त रहना, चुनाव आचार संहिता के कारण मशीनरी की खरीद समय पर नहीं होने तथा गैर-कानूनी खनन को रोकने हेतु खनिज सुरक्षा बलों के कार्मिकों का नियोजन न होना।
8.	50-ग्रामीण रोजगार	2011-12	259.98	183.83	76.15	29.3	भारत सरकार से निधियाँ
		2012-13	274.03	213.34	60.69	22.1	कम प्राप्त होना।
		2013-14	383.66	326.23	57.43	15.0	
	पूँजीगत दत्तमत						
9.	11-विविध सामाजिक सेवाएं	2011-12	5.48	3.18	2.30	42.0	सरकार द्वारा कारण सूचित
		2012-13	8.32	6.73	1.59	19.1	नहीं किये गये।
		2013-14	9.68	8.06	1.62	16.7	विकास प्राधिकरण एवं पुरातत्व विभाग की आपत्ति के पश्चात् वर्ष 2012-13 से संबंधित 11 निर्माण कार्य शुरू नहीं होने तथा चुनाव आचार संहिता के कारण कार्य आदेश जारी नही होना।
10.	19-लोक निर्माण कार्य	2011-12	304.29	194.48	109.81	36.1	निर्माण कार्यों की धीमी
		2012-13	512.57	376.86	135.71	26.5	प्रगति/कम निष्पादन होना
		2013-14	796.83	519.09	277.74	34.9	
11.	23-श्रम एवं रोजगार	2011-12	5.82	3.25	2.57	44.2	आपूर्तिकर्ता द्वारा प्राविधिक प्रशिक्षण सुधारात्मक परियोजना के अन्तर्गत विश्व बैंक के नियमों एवं शर्तो को पूरा नहीं करना।
		2012-13	5.10	3.72	1.38	27.1	राष्ट्रीय परिषद के प्राविधिक प्रशिक्षण मापदण्डों के अनुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लिए किराये पर भवन की अनुपलब्धता।
		2013-14	5.47	2.60	2.87	52.5	सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।
12.	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	2011-12	987.34	632.80	354.54	35.9	राजस्थान शहरी विकास निधि को अनुदान जारी नहीं करना, भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होना तथा बीसलपुर परियोजना के बिलों के भुगतान में देरी।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	वर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें	बचतों का प्रतिशत	विनियोग लेखे में बताये गये बचतों के मुख्य कारण
		2012-13	1169.89	975.95	193.94	16.6	सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।
		2013-14	1460.01	1045.02	414.99	28.4	भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नहीं होना।
13.	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	2011-12	1087.28	691.84	395.44	36.4	निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति/निष्पादन नही होना/ कम निष्पादन होना, भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होना तथा विद्युत कम्पनियों में कम निवेश।
		2012-13	1240.46	1008.19	232.27	18.7	
		2013-14	1822.66	1599.82	222.84	12.2	सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।
14.	33-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2011-12	74.18	52.35	21.83	29.4	निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति/निष्पादन नहीं होना/ आरम्भ नहीं होना तथा भूमि की अनुपलब्धता।
		2012-13	159.15	73.38	85.77	53.9	कार्यों का कम निष्पादन/ निष्पादन नहीं होना तथा निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृतियाँ जारी नहीं होना।
		2013-14	84.36	73.15	11.21	13.3	सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।
15.	35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं	2011-12	52.44	35.22	17.22	32.8	भारत सरकार से राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना हेतु निधियाँ प्राप्त नहीं होना।
		2012-13	95.23	59.33	35.90	37.7	
		2013-14	39.19	32.32	6.87	17.5	
16.	38-लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण	2011-12	24.61	16.67	7.94	32.3	सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।
		2012-13	23.73	18.51	5.22	22.0	
		2013-14	26.13	0.39	25.74	98.5	भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नहीं होना।
17.	46-सिंचाई	2011-12	751.52	580.26	171.26	22.8	कार्यों का कम निष्पादन होना।
		2012-13	811.29	582.32	228.97	28.2	
		2013-14	1108.51	829.33	279.18	25.2	

स्त्रोत: विनियोग लेखे

उपरोक्त 17 प्रकरणों के अन्तर्गत पदों का रिक्त रहना मुख्यत: निरन्तर बचतों का कारण था। बजट अनुमानों के अन्तर्गत रिक्त पदों का प्रावधान करना राबनि का उल्लंघन था। बचत के अन्य कारण भारत सरकार से निधियाँ कम/प्राप्त नहीं होना तथा आयोजना परिव्यय में कटौती होना प्रतिवेदित किये गये थे।

विगत वर्षों में निरन्तर बचतें, सरकार द्वारा निधियों की आवश्यकता की पर्याप्त संवीक्षा एवं व्यय के प्रवाह के उचित अनुश्रवण का अभाव तथा विनियोग विधेयक में अधिक निर्धारण का सूचक है। विभिन्न विभागों में प्रभावी बजटीय नियंत्रण नहीं था तथा पिछलें वर्षों के व्ययों की प्रवृत्तियों का इस वर्ष के बजट आवंटन के समय ध्यान नहीं रखा गया। निरन्तर बचतों से बचने हेतु वित्त विभाग को इन अनुदानों से संबंधित नियंत्रण अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये जाने की आवश्यकता है।

2.3.2.1 अनुदान संख्या 9, 24, 26, 37, 42 एवं 47 के अन्तर्गत निरन्तर बचतों की विस्तृत समीक्षा की गई। लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्षों की विवेचना निम्नानुसार की गयी है:

अनुदान संख्या 09-वन

वन विभाग

वर्ष 2011-14 की अवधि के दौरान, अनुदान संख्या 9 के अन्तर्गत ₹ 0.14 करोड़ एवं ₹ 85.12 करोड़ के मध्य की निरन्तर बचतें कुल प्रावधानों के 5 से 94 प्रतिशत तक रही, जैसाकि **तालिका 2.4** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.4: अनुदान संख्या 09-वन के अन्तर्गत निरन्तर बचतें

(₹ करोड़ में)

क.सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	कुल प्रावधान	व्यय	सकल बचत	बचतों का प्रतिशत	कारण	लेखापरीक्षा टिप्पणी
1	2406-वानिकी तथा वन्य जीव 01-वानिकी 001-निदेशन तथा प्रशासन 02-अधीनस्थ तथा सहायक कर्मचारी	**आयोजना भिन्न**						
		2011-12	301.55	284.20	17.35	5.8	पदों का रिक्त रहना तथा पेड़ों के ठूंठ/ टुकड़े वन भूमि से हटाये जाने हेतु तारबंदी/सीमेन्ट/ पोलीथीन इत्यादि से संबंधित कार्यो की निविदायें आमंत्रित करने की प्रक्रिया में विलम्ब के कारण पौधारोपण हेतु भूमि की अनुपलब्धता।	रिक्त पदों का प्रावधान रखना राबनि के प्रावधानों का उल्लंघन था। विभाग को वन पौधारोपण हेतु भूमि उपलब्धता सुनिश्चित करते हुये समय पर पेड़ों के ठूंठ/टुकडों को हटाने की कार्यवाही करनी चाहिये थी।
		2012-13	330.32	308.62	21.70	6.6		
		2013-14	358.30	335.49	22.81	6.4		
2	2406-वानिकी तथा वन्य जीव 01-वानिकी 101-वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 11-एकीकृत वन सुरक्षा योजना (1:3)	**आयोजना**						
		2011-12	0.75	0.59	0.16	21.3	भारत सरकार से अनुदान की द्वितीय किश्त देरी से जारी करना/प्राप्त नहीं होना।	किश्त को समय से जारी करने की सुनिश्चिता हेतु विभाग को भारत सरकार से अनुसरण करना चाहिए था।
		2012-13	0.90	0.76	0.14	15.6		
		2013-14	1.10	0.52	0.58	52.7		
		केन्द्रीय प्रवर्तित योजना						
		2011-12	2.25	1.77	0.48	21.3	भारत सरकार से अनुदान की द्वितीय किश्त देरी से जारी करना/प्राप्त नहीं होना।	किश्त को समय से जारी करने की सुनिश्चिता हेतु विभाग को भारत सरकार से अनुसरण करना चाहिए था।
		2012-13	2.70	2.27	0.43	15.9		
		2013-14	3.30	1.55	1.75	53.0		
3	2406-वानिकी तथा वन्य जीव 01-वानिकी 101-वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 12-ईंधन तथा लकड़ी कोयला व्यापार योजना	**आयोजना भिन्न**						
		2011-12	7.56	6.49	1.07	14.2	पदों का रिक्त रहना।	रिक्त पदों का प्रावधान रखना राबनि के प्रावधानों का उल्लंघन था तथा पेड़ों के काटने को सुनिश्चित करने हेतु विभाग को समय से कार्यवाही करनी चाहिये थी।
		2012-13	7.52	6.73	0.79	10.5	पदों का रिक्त रहना, पेड़ों को काटने हेतु मजदूरों की अनुपलब्धता तथा परिवहन पर कम व्यय होना।	
		2013-14	10.55	9.41	1.14	10.8	पेड़ों से गिरी हुई सूखी लकड़ियों का कम इकट्ठा होना।	
4	2406-वानिकी तथा वन्य जीव 01-वानिकी 102-समाज तथा फार्म वानिकी 25-बाह्य सहायता प्राप्त	**आयोजना**						
		2011-12	10.08[2]	4.51	5.57	55.3	विभाग द्वारा बचत के कारण नहीं बताये गये।	लेखापरीक्षा द्वारा भेजे गये पत्रों (जून तथा जुलाई 2014) के बावजूद विभाग द्वारा बचत के कारण नहीं बताये गये।
		2012-13	85.41	21.60	63.81	74.7		
		2013-14	144.90	91.20	53.70	31.1		

[2] अनुपूरक प्रावधान ₹ 0.02 लाख सहित।

(₹ करोड़ में)

क.सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	कुल प्रावधान	व्यय	सकल बचत	बचतों का प्रतिशत	कारण	लेखापरीक्षा टिप्पणी
	राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज-।।							
5	2406-वानिकी तथा वन्य जीव 02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110-वन्य जीव परिरक्षण 01-बाघ परियोजना, रणथम्भौर	**केन्द्रीय प्रवर्तित योजना**						
		2011-12	104.78	19.66	85.12	81.2	ग्रामीणों को उनके रहने के स्थान से हटाने के लिए ग्रामीणों की सहमति प्राप्त नहीं हो सकी तथा भारत सरकार से द्वितीय किश्त प्राप्त नहीं हुई/देरी से प्राप्त हुई।	बजट बनाने से पूर्व ग्रामीणों की सहमति सहित ग्रामीणों को उनके रहने के स्थान से हटाने की सम्भाव्यता की अच्छी तरह जाँच की जानी चाहिये थी।
		2012-13	54.80	13.90	40.90	74.6		
		2013-14	54.50	6.78	47.72	87.6		
6	2406-वानिकी तथा वन्य जीव 02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110-वन्य जीव परिरक्षण 02-बाघ परियोजना, सरिस्का	2011-12	32.45	15.48	16.97	52.3	ग्रामीणों को उनके रहने के स्थान से हटाने के लिए ग्रामीणों की सहमति प्राप्त नहीं हो सकी तथा भारत सरकार से द्वितीय किश्त प्राप्त नहीं हुई/देरी से प्राप्त हुई।	बजट बनाने से पूर्व ग्रामीणों की सहमति सहित ग्रामीणों को उनके रहने के स्थान से हटाने की सम्भाव्यता की अच्छी तरह जाँच की जानी चाहिये थी।
		2012-13	33.50	14.50	19.00	56.7		
		2013-14	53.80	6.12	47.68	88.6		
7	2406-वानिकी तथा वन्य जीव 02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110-वन्य जीव परिरक्षण 03-वन क्षेत्रों का संधारण	**आयोजना भिन्न**						
		2011-12	33.47	29.99	3.48	10.4	पदों का रिक्त रहना।	रिक्त पदों का प्रावधान रखना राबनि के प्रावधानों का उल्लंघन था।
		2012-13	35.91	30.98	4.93	13.7		
		2013-14	37.90	33.31	4.59	12.1		
8	2406-वानिकी तथा वन्य जीव 02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110-वन्य जीव परिरक्षण 04-घना पक्षी अभ्यारण्य का विकास	**केन्द्रीय प्रवर्तित योजना**						
		2011-12	1.00	0.11	0.89	89.0	भारत सरकार से निधियों का कम प्राप्त होना तथा वार्षिक आयोजना परिव्यय के अनुसार द्वितीय किश्त प्राप्त नहीं होना।	किश्त को समय से जारी करने की सुनिश्चिता हेतु विभाग को भारत सरकार से अनुसरण करना चाहिये था।
		2012-13	1.00	0.38	0.62	62.0		
		2013-14	1.00	0.32	0.68	68.0		
9	2406-वानिकी तथा वन्य जीव 02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110-वन्य जीव परिरक्षण 05-राष्ट्रीय मरू उद्यान का विकास	2011-12	0.80	0.20	0.60	75.0	वार्षिक आयोजना परिव्यय के अनुसार द्वितीय किश्त प्राप्त नहीं होना।	किश्त को समय से जारी करने की सुनिश्चिता हेतु विभाग को भारत सरकार से अनुसरण करना चाहिये था।
		2012-13	0.80	0.18	0.62	77.5		
		2013-14	0.80	0.35	0.45	56.3		
10	4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय 01-वानिकी 070-संचार तथा भवन 02-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग के माध्यम से	**आयोजना**						
		2011-12	10.25	3.05	7.20	70.2	भवन निर्माण के लिए स्वीकृति में देरी होना।	आवश्यक स्वीकृतियाँ समय से जारी करने की सुनिश्चिता हेतु विभाग को उक्त प्रकरण संबंधित सक्षम प्राधिकारियों से अनुसरण करना चाहिए था।
		2012-13	20.50	10.59	9.91	48.3	अनुमानों में संशोधन होना	
		2013-14	18.00	10.79	7.21	40.1	राज्य सरकार द्वारा उत्कृष्टता केन्द्र स्वीकृत नहीं करना।	
11	4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय 01-वानिकी 102-समाज तथा फार्म वानिकी 08-सांभर नम भूमि का संरक्षण एवं विकास	**केन्द्रीय प्रवर्तित योजना**						
		2011-12	1.32	0.62	0.70	53.0	भारत सरकार से अनुदान की द्वितीय किश्त देरी से जारी करना/प्राप्त नहीं होना।	किश्त को समय से जारी करने की सुनिश्चिता हेतु विभाग को भारत सरकार से अनुसरण करना चाहिए था।
		2012-13	1.32	0.78	0.54	40.9		
		2013-14	2.74	0.17	2.57	93.8		

स्त्रोत: विनियोग लेखे एवं विभागीय उत्तर

ऊपर तालिका में बताये गये महत्वपूर्ण तथा विकासात्मक कार्यों/कार्यक्रमों के संदर्भ में कुल प्रावधानों के विरूद्ध वृहद निधियों की निरन्तर बचतें उन पर अनुश्रवण एवं बजटीय नियंत्रण की कमियों को इंगित करती है।

अनुदान संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति

शिक्षा, कला एवं संस्कृति विभाग

वर्ष 2011-14 की अवधि के दौरान, अनुदान संख्या 24 के अन्तर्गत ₹ 0.48 करोड़ एवं ₹ 635.93 करोड़ के मध्य निरन्तर बचतें, कुल प्रावधानों की, 4 से 100 प्रतिशत रही जैसाकि **तालिका 2.5** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.5: अनुदान संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति के अन्तर्गत निरन्तर बचतें

(₹ करोड़ में)

क.सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	कुल प्रावधान	व्यय	सकल बचतें	बचतों का प्रतिशत	कारण	लेखापरीक्षा टिप्पणी
1.	2202-सामान्य शिक्षा 01-प्रारम्भिक शिक्षा 101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 01-बालकों के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय	आयोजना भिन्न						
		2011-12	92.95	89.06	3.89	4.2	पदों का रिक्त रहना।	रिक्त पदों का प्रावधान रखना राबनि के प्रावधानों का उल्लंघन था।
		2012-13	96.44	86.95	9.49	9.8		
		2013-14	108.94	93.61	15.33	14.1		
2.	2202-सामान्य शिक्षा 01-प्रारम्भिक शिक्षा 101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 02-बालिकाओं के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय	2011-12	33.01	29.85	3.16	9.6	पदों का रिक्त रहना।	रिक्त पदों का प्रावधान रखना राबनि के प्रावधानों का उल्लंघन था।
		2012-13	31.39	27.43	3.96	12.6		
		2013-14	36.14	30.82	5.32	14.7		
3.	2202-सामान्य शिक्षा 01-प्रारम्भिक शिक्षा 197-ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता 01-उच्च प्राथमिक विद्यालय (बालक) 01-स्थापना व्यय	2011-12	2056.84	1852.29	204.55	9.9	पदों का रिक्त रहना।	रिक्त पदों का प्रावधान रखना राबनि के प्रावधानों का उल्लंघन था।
		2012-13	2344.24	2015.63	328.61	14.0		
		2013-14	2490.84*	2306.62	184.22	7.4		
4.	2202-सामान्य शिक्षा 02-माध्यमिक शिक्षा 001-निदेशन तथा प्रशासन 01-सामान्य व्यय	2011-12	28.11	25.26	2.85	10.1	पदों का रिक्त रहना।	रिक्त पदों का प्रावधान रखना राबनि के प्रावधानों का उल्लंघन था।
		2012-13	33.59*	26.75	6.84	20.4		
		2013-14	36.98 *	30.46	6.52	17.6		
5.	2202-सामान्य शिक्षा 02-माध्यमिक शिक्षा 109-राजकीय माध्यमिक विद्यालय 01-बालकों के विद्यालय	2011-12	2713.94*	2602.55	111.39	4.1	विद्यालयों द्वारा अधिक माँग करना।	बजट प्रावधान बनाते समय गत वर्षों के व्यय की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखा जाना चाहिये था।
		2012-13	3616.10	2980.17	635.93	17.6	पदों का रिक्त रहना।	रिक्त पदों का प्रावधान रखना राबनि के प्रावधानों का उल्लंघन था।
		2013-14	3895.05	3411.80	483.25	12.4	राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल द्वारा बिलों का प्रस्तुत नहीं करना।	जहाँ तक संभव हो, बिलों के भुगतान हेतु प्रावधान करते समय प्रत्याशित बकाया दायित्वों के भुगतान को ध्यान में रखा जाना चाहिये था।

(₹ करोड़ में)

क.सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	कुल प्रावधान	व्यय	सकल बचतें	बचतों का प्रतिशत	कारण	लेखापरीक्षा टिप्पणी
6.	2202-सामान्य शिक्षा 02-माध्यमिक शिक्षा 109-राजकीय माध्यमिक विद्यालय 02-बालिका विद्यालय	2011-12	488.99	396.25	92.74	19.0	पदों का रिक्त रहना।	रिक्त पदों का प्रावधान रखना राबनि के प्रावधानों का उल्लंघन था।
		2012-13	569.94	454.43	115.51	20.3		
		2013-14	667.89	519.49	148.40	22.2		
7.	2202-सामान्य शिक्षा 02-माध्यमिक शिक्षा 109-राजकीय माध्यमिक विद्यालय 08-बालिका छात्रावास 01-बालिका छात्रावास-सामान्य व्यय	**आयोजना**						
		2011-12	1.85	1.19	0.66	35.7	भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नहीं होना।	पर्याप्त निधियाँ समय से जारी करने की सुनिश्चिता हेतु विभाग को भारत सरकार से अनुसरण करना चाहिये था।
		2012-13	3.49	-	3.49	100.0		
		2013-14	4.74*	0.68	4.06	85.7		
		केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएँ						
		2011-12	31.70	16.50	15.20	47.9		
		2012-13	50.66	-	50.66	100.0		
		2013-14	60.79	6.09	54.70	90.0		
8.	2202-सामान्य शिक्षा 02-माध्यमिक शिक्षा 109-राजकीय माध्यमिक विद्यालय 09-मॉडल स्कूल 01-मॉडल स्कूल-सामान्य व्यय	**आयोजना**						
		2011-12	14.45	12.57	1.88	13.0	भारत सरकार से स्वीकृतियाँ प्राप्त नहीं होना।	पर्याप्त निधियाँ समय से जारी करने की सुनिश्चिता हेतु विभाग को भारत सरकार से अनुसरण करना चाहिये था।
		2012-13	34.61	8.43	26.18	75.6		
		2013-14	34.61*	1.99	32.62	94.3		
9.	2202-सामान्य शिक्षा 04-प्रौढ़ शिक्षा 200-अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम 02-साक्षर भारत अभियान	2011-12	33.80	27.04	6.76	20.0	भारत सरकार से केन्द्रीय अंश कम प्राप्त होना।	पर्याप्त निधियाँ समय से जारी करने की सुनिश्चिता हेतु विभाग को भारत सरकार से अनुसरण करना चाहिये था।
		2012-13	5.50	-	5.50	100.0	भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय अंश जारी नहीं करना।	
		2013-14	12.10	9.28	2.82	23.3	भारत सरकार से केन्द्रीय अंश कम प्राप्त होना।	
10.	2204-खेलकूद तथा युवा सेवाएं 102-विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम 02-नेशनल सर्विस स्कीम (5:7) 02-उच्च माध्यमिक विद्यालय	**केन्द्रीय प्रवर्तित योजना**						
		2011-12	2.19	1.55	0.64	29.2	भारत सरकार से द्वितीय किश्त प्राप्त नहीं होना।	पर्याप्त निधियाँ समय से जारी करने की सुनिश्चिता हेतु विभाग को भारत सरकार से अनुसरण करना चाहिये था।
		2012-13	2.20	1.11	1.09	49.5		
		2013-14	2.38	1.04	1.34	56.3	राज्य सरकार द्वारा कम निधियाँ जारी करना।	
11.	2205-कला एवं संस्कृति 103-पुरातत्व 01-सामान्य व्यय	**आयोजना-भिन्न**						
		2011-12	6.78	6.30	0.48	7.1	पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन पर कम व्यय होना।	रिक्त पदों का प्रावधान रखना राबनि के प्रावधानों का उल्लंघन था।
		2012-13	7.56	6.27	1.29	17.1		
		2013-14	7.29	5.72	1.57	21.5	पदों का रिक्त रहना तथा पुलिस विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अस्थायी सुरक्षा कर्मियों को वेतन का भुगतान नहीं होना।	

* अनुपूरक प्रावधानों सहित

स्त्रोत: विनियोग लेखे तथा विभागीय उत्तर

उपर्युक्त स्थिति प्रकट करती है कि पदों के रिक्त रहने से हुई ₹ 1,767.32 करोड़ की निरन्तर बचतों से उचित बजटिंग, बिशेषकर राबनि के पैरा 13.18.2 के

प्रावधान जोकि इस प्रकार के अनुमानों को निर्धारित करते है, का ध्यान रखकर बचा जा सकता था।

विभाग द्वारा वर्ष दर वर्ष रिक्तियों के विरूद्व प्रावधान रखना, न केवल बजटरी प्रावधानों का उल्लंघन था अपितु विभागीय प्रणालीगत कमियों का सूचक था। उचित पूर्वानुमान के साथ, ऐसी निधियों जिनका कि वर्ष के अन्त में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण किया गया, को अन्य महत्वपूर्ण कार्यों/कार्यक्रमों/परियोजनाओं/योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु रखा जा सकता था।

अनुदान संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

वर्ष 2011-14 की अवधि के दौरान, अनुदान संख्या 26 के अन्तर्गत ₹ 0.21 करोड़ एवं ₹ 61.26 करोड़ के मध्य की निरन्तर बचतें कुल प्रावधानों के 3 से 100 प्रतिशत रही, जैसाकि **तालिका 2.6** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.6: अनुदान संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के अन्तर्गत निरन्तर बचतें

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	कुल प्रावधान	व्यय	सकल बचत	बचतों का प्रतिशत	कारण	लेखापरीक्षा टिप्पणी
1.	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी 110-अस्पताल तथा औषधालय 01-अध्यापन अस्पताल 18-उम्मेद अस्पताल, जोधपुर	आयोजना						
		2011-12	0.89	0.37	0.52	58.4	पदों का रिक्त रहना	रिक्त पदों हेतु प्रावधान रखना राबनि के प्रावधानों का उल्लंघन था।
		2012-13	1.93	0.47	1.46	75.6		
		2013-14	3.80	1.78	2.02	53.2		
2.	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी 110-अस्पताल तथा औषधालय 01-अध्यापन अस्पताल 24-महाराणा भूपाल राजकीय अस्पताल, उदयपुर	2011-12	3.79	0.60	3.19	84.2	पदों का रिक्त रहना	रिक्त पदों हेतु प्रावधान रखना राबनि के प्रावधानों का उल्लंघन था।
		2012-13	3.59	1.94	1.65	46.0		
		2013-14	4.48	2.56	1.92	42.9		
3.	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी 110-अस्पताल तथा औषधालय 02-भ्रमणशील अस्पताल 08-अन्य भ्रमणशील शल्य चिकित्सा ईकाई	2011-12	2.59	2.17	0.42	16.2	पदों का रिक्त रहना तथा राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन (आरएमएससीएल) द्वारा नि:शुल्क दवा आपूर्ति करना।	बजट प्रावधान बनाते समय आरएमएससीएल द्वारा दवाइयों की प्रत्याशित आपूर्ति को ध्यान में रखा जाना चाहिये था।
		2012-13	5.24	2.82	2.42	46.2		
		2013-14	5.83	3.31	2.52	43.2		

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	कुल प्रावधान	व्यय	सकल बचत	बचतों का प्रतिशत	कारण	लेखापरीक्षा टिप्पणी
4.	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाऐं सेवाएं-एलोपैथी 104-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 01-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	**आयोजना-भिन्न**						
		2011-12	192.07	183.47	8.60	4.5	पदों का रिक्त रहना	रिक्त पदों हेतु प्रावधान रखना राबनि के प्रावधानों का उल्लंघन था।
		2012-13	255.63	246.33	9.30	3.6		
		2013-14	290.40	275.12	15.28	5.3		
		आयोजना						
		2011-12	36.44*	33.18	3.26	9.0		
		2012-13	33.70	9.82	23.88	70.9		
		2013-14	46.80	39.92	6.88	14.7		
5.	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 04-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ 101-आयुर्वेद 01-अस्पताल और औषधालय	**आयोजना-भिन्न**						
		2011-12	290.47	267.72	22.75	7.8	पदों का रिक्त रहना तथा एसीपी के प्रकरणों में अनुमान से कम आहरण होना।	विभाग द्वारा एसीपी प्रकरणों की बकाया राशि की यथार्थता के साथ प्रत्याशा की जानी चाहिये थी।
		2012-13	332.71	288.41	44.30	13.3		
		2013-14	379.59	318.33	61.26	16.1		
6.	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 05-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान 105-एलोपैथी 01-शिक्षा 03-चिकित्सा महाविधालय उदयपुर	2011-12	28.55	26.70	1.85	6.5	पदों का रिक्त रहना	रिक्त पदों हेतु प्रावधान रखना राबनि के प्रावधानों का उल्लंघन था।
		2012-13	32.03	29.62	2.41	7.5		
		2013-14	38.91	35.93	2.98	7.7		
7.	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 05-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान 105-एलोपैथी 01-शिक्षा 04-चिकित्सा महाविधालय अजमेर	2011-12	25.97	23.77	2.20	8.5	पदों का रिक्त रहना	रिक्त पदों हेतु प्रावधान रखना राबनि के प्रावधानों का उल्लंघन था।
		2012-13	29.33	27.51	1.82	6.2		
		2013-14	35.23	32.30	2.93	8.3		
8.	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 05-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान 105-एलोपैथी 01-शिक्षा 05-चिकित्सा महाविधालय जोधपुर	**आयोजना**						
		2011-12	6.58*	5.24	1.34	20.4	पदों का रिक्त रहना	रिक्त पदों हेतु प्रावधान रखना राबनि के प्रावधानों का उल्लंघन था।
		2012-13	2.67	2.46	0.21	7.9		
		2013-14	4.04	1.44	2.60	64.4		
9.	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 06-लोक स्वास्थ्य 101-रोगों का निवारण तथा नियंत्रण 01-राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	**आयोजना-भिन्न**						
		2011-12	59.68	49.03	10.65	17.9	पदों का रिक्त रहना	रिक्त पदों हेतु प्रावधान रखना राबनि के प्रावधानों का उल्लंघन था।
		2012-13	60.09	49.51	10.58	17.6		
		2013-14	60.80	51.37	9.43	15.5		
10.	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 06-लोक स्वास्थ्य 101-रोगों का निवारण तथा नियंत्रण 05-राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम	2011-12	5.02	4.12	0.90	17.9	पदों का रिक्त रहना	रिक्त पदों हेतु प्रावधान रखना राबनि के प्रावधानों का उल्लंघन था।
		2012-13	5.33	4.27	1.06	19.9		
		2013-14	6.07	4.78	1.29	21.3		

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	कुल प्रावधान	व्यय	सकल बचत	बचतों का प्रतिशत	कारण	लेखापरीक्षा टिप्पणी
11.	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 06-लोक स्वास्थ्य 104-औषध नियंत्रण 01- औषध नियंत्रण स्थापना 01-निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के माध्यम से	**आयोजना**						
		2011-12	1.45*	0.11	1.34	92.4	पदों का रिक्त रहना	रिक्त पदों हेतु प्रावधान रखना राबनि के प्रावधानों का उल्लंघन था।
		2012-13	1.60	0.01	1.59	99.4		
		2013-14	10.44	1.43	9.01	86.3		
12.	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 06-लोक स्वास्थ्य 107-लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं 01-जीवाणु सम्बन्धी प्रयोगशालाएं	2011-12	1.46	-	1.46	100.0	पदों का रिक्त रहना तथा सामग्री एवं आपूर्ति में बचतें	रिक्त पदों हेतु प्रावधान रखना राबनि के प्रावधानों का उल्लंघन था।
		2012-13	2.49	0.10	2.39	96.0		
		2013-14	5.91	1.06	4.85	82.1		
13.	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 06-लोक स्वास्थ्य 197-ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता 01-ब्लाक स्तरीय संस्थापन 01-खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी	**आयोजना-भिन्न**						
		2011-12	49.30	43.88	5.42	11.0	पदों का रिक्त रहना	रिक्त पदों हेतु प्रावधान रखना राबनि के प्रावधानों का उल्लंघन था।
		2012-13	56.70	53.37	3.33	5.9		
		2013-14	64.16	61.08	3.08	4.8		
14.	2211-परिवार कल्याण 200-अन्य सेवाएं तथा पूर्तियां 01-परम्परागत गर्भ निरोधक	**केन्द्रीय प्रवर्तित योजना**						
		2011-12	14.00	4.68	9.32	66.6	भारत सरकार द्वारा स्वीकृतियाँ देरी से जारी करना तथा भारत सरकार द्वारा कितनी सामग्री सप्लाई की जावेगी इसका आंकलन पूर्व में नहीं हो सका, इस संबंध में भारत सरकार को भी अवगत करवा दिया गया था।	विभाग को समय से स्वीकृति जारी करने तथा सामग्री की आपूर्ति हेतु भारत सरकार से अनुसरण करना चाहिये था। राजस्थान सरकार द्वारा परम्परागत गर्भ निरोधकों का उचित रूप से परिमाणन किया जाना चाहिये था।
		2012-13	14.00	8.53	5.47	39.1		
		2013-14	14.00	10.22	3.78	27.0		
15.	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं 110-अस्पताल तथा औषधालय 12-तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत कार्य (डीएमएचएस) 90-निर्माण कार्य	**आयोजना**						
		2011-12	20.41*	6.65	13.76	67.4	सार्वजनिक निर्माण विभाग की कार्यकारी अभिकरणों से निर्माण कार्य को मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को सौपने से निविदा प्रक्रिया में विलम्ब हुआ जिससे वित्तीय वर्ष 2011-12 के अन्त तक कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका था। उक्त राशि तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत अनुदान के रूप में प्राप्त हुई थी, जो कि व्यपगत	कार्य मुख्य अभियंता, एनआरएचएम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को दिये जाने के कारण निविदा प्रक्रिया में देरी होना विभागीय प्रणालीगत त्रुटियों तथा निर्माण कार्यों के लिए निर्धारित समय सीमा में निधियों का वांछित उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं होने से निधियों का अवरोधन हुआ। ऐसे में निर्माण कार्यों की लागतों में वृद्धि को नकारा नहीं जा सकता।
		2012-13	10.25	0.91	9.34	91.1		
		2013-14	46.04*	32.28	13.76	29.9		

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	कुल प्रावधान	व्यय	सकल बचत	बचतों का प्रतिशत	कारण	लेखापरीक्षा टिप्पणी
							नहीं होती है तथा जिसका उपयोग आगामी वर्षों में किया जा सकता है।	
16.	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान 105-एलोपैथी 07-अन्य व्यय 03-चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर	2011-12	4.75	3.55	1.20	25.3	निविदायें प्राप्त नहीं होना/देरी से प्राप्त होना तथा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण।	यह विभाग/राज्य सरकार का उत्तरदायित्व था कि निर्माण कार्यों की आवश्यक प्रगति के स्तर को सुनिश्चित करने के लिये उचित निर्णय, कार्यान्वयन तथा अनुश्रवण करती।
		2012-13	6.27*	2.71	3.56	56.8		
		2013-14	6.87*	0.77	6.10	88.8		

* अनुपूरक प्रावधानों सहित।

स्त्रोत: विनियोग लेखे तथा विभागीय उत्तर

उपर्युक्त स्थिति प्रकट करती है कि पदों के रिक्त रहने से हुई ₹ 153.98 करोड़ की निरन्तर बचतों से, उचित बजटिंग, विशेषकर राबनि के पैरा 13.18.2 के प्रावधान जोकि इस प्रकार के अनुमानों को निर्धारित करते है, का ध्यान रखकर बचा जा सकता था।

विभाग द्वारा उचित पूर्वानुमान के साथ ऐसी निधियों जिनका कि वर्ष के अन्त में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण किया गया था, को अन्य महत्वपूर्ण कार्यों/कार्यक्रमों/परियोजनाओं/योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु रखा जा सकता था।

अनुदान संख्या 37-कृषि

कृषि विभाग

वर्ष 2011-14 की अवधि के दौरान, अनुदान संख्या 37 के अन्तर्गत ₹ 0.27 करोड़ एवं ₹ 11.11 करोड़ के मध्य की निरन्तर बचतें कुल प्रावधानों के 5 से 100 प्रतिशत के मध्य रही, जैसाकि **तालिका 2.7** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.7: अनुदान संख्या 37-कृषि के अन्तर्गत निरन्तर बचतें

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	कुल प्रावधान	व्यय	सकल बचत	बचतों का प्रतिशत	कारण	लेखापरीक्षा टिप्पणी
1.	2401-फसल कृषि-कर्म 119-बागवानी तथा वनस्पति फसलें 25-राष्ट्रीय बागवानी मिशन (15% राज्यांश : 85% केन्द्रीयांश)	**आयोजना**						
		2011-12	10.67	6.38	4.29	40.2	भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होने के कारण कम राज्यांश जारी करना	विभाग को समय पर पर्याप्त निधियाँ जारी करवाने हेतु भारत सरकार से अनुसरण करना चाहिए था।
		2012-13	7.98	6.07	1.91	23.9		
		2013-14	8.10	6.60	1.50	18.5		
2.	2401-फसल कृषि-कर्म 119-बागवानी तथा वनस्पति फसलें 27-कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग हेतु सहायता	2011-12	1.00	0.31	0.69	69.0	मुख्य सचिव के निर्णय (जुलाई 2010) के अनुसार अनुदान उन कृषकों/उद्यमियों को दिया	प्रावधान बनाते समय जुलाई 2010 में लिये गये निर्णय को ध्यान में रखकर वर्ष 2011-12

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	कुल प्रावधान	व्यय	सकल बचत	बचतों का प्रतिशत	कारण	लेखापरीक्षा टिप्पणी
							जाना था, जिन्होंने प्रोसेसिंग इकाई स्थापना हेतु अच्छा कार्य किया था। जुलाई 2010 तक केवल पाँच कृषकों/उद्यमों को ही अनुदान प्राप्त करने योग्य पाया गया। वित्त विभाग (अगस्त 2011) ने पुरानी योजना चालू रखना अस्वीकृत कर दिया।	तथा 2012-13 के लिए अनुदानों के वितरण का आंकलन किया जाना चाहिये था, प्रस्ताव वर्ष के अन्त में मांगे गये थे, जिससे समय की कमी के कारण इन प्राप्त प्रस्तावों पर प्रक्रिया पूरी न होने को नकारा नहीं जा सकता।
		2012-13	2.00	-	2.00	100.0	योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार 20 फरवरी 2013 तक कृषकों/ उद्यमियों से प्राप्त हुए प्रस्ताव अपूर्ण/अपात्र पाये गये तथा सम्पूर्ण राशि बजट शीर्ष '2401-119-28' को हस्तान्तरित कर दी गयी।	
		2013-14	10.00	2.32	7.68	76.8	कृषकों से प्राप्त प्रस्ताव अनुदान राशि से कम होना तथा प्रसंस्करण इकाईयों द्वारा समय पर वांछित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करना।	बचतें इस सीमा तक रहना प्रणालीगत त्रृटियों को दर्शाती है, परिणामस्वरूप किसानों की प्रसंस्करण इकाईयों में रूचि कम रही।
3.	2401-फसल कृषि-कर्म 196-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता 04-जिला स्तरीय संस्थापन व्यय	**आयोजना भिन्न**						
		2011-12	34.96[3]	33.00	1.96	5.6	पदों का रिक्त रहना।	रिक्त पदों हेतु प्रावधान रखना राबनि के प्रावधानों का उल्लंघन था।
		2012-13	37.67	33.54	4.13	11.0		
		2013-14	40.88	36.11	4.77	11.7		
4.	2401-फसल कृषि-कर्म 196-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता 06-जिला स्तरीय कृषि योजनाऐं 07-तिलहन, दलहन, ऑइलपाम तथा मक्का की एकीकृत योजना	**आयोजना**						
		2011-12	4.90	4.63	0.27	5.5	निर्धारित मापदण्डों एवं आदानों के वास्तविक व्यय में अन्तर होना।	विभाग को विशिष्ट सामग्री प्राप्त करने हेतु प्रयास करने चाहिए थे।
		2012-13	5.27	3.52	1.75	33.2	आरएसएमएमएल द्वारा किसानों की मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं देना, कम वर्षा होने के कारण तिलहनी	विभाग को समय से जिप्सम आपूर्ति तथा अन्य परिवहन के साधनों की उपलब्धता

[3] अनुपूरक प्रावधान ₹ 7.26 करोड़ सहित।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	कुल प्रावधान	व्यय	सकल बचत	बचतों का प्रतिशत	कारण	लेखापरीक्षा टिप्पणी
							फसल का क्षेत्रफल कम होना तथा जिप्सम आपूर्ति हेतु ट्रकों की अनुपलब्धता।	सुनिश्चित करनी चाहिए थी।
		2013-14	5.42	1.72	3.70	68.3	आईसोपॉम योजना में भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होना तथा आरएसएमएमएल द्वारा जिप्सम आपूर्ति नहीं करना।	विभाग को योजना हेतु पर्याप्त निधियों की उचित उपलब्धता हेतु भारत सरकार से अनुसरण करना चाहिए था।
5.	2401-फसल कृषि-कर्म 196-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता 06-जिला स्तरीय कृषि योजनाऐं 07-तिलहन, दलहन, ऑइलपाम तथा मक्का की एकीकृत योजना	**केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं**						
		2011-12	14.70	13.90	0.80	5.4	निर्धारित मापदण्डों एवं आदानों के वास्तविक व्यय में अन्तर होना।	विभाग को विनिर्देशानुसार सामग्री प्राप्त करने हेतु प्रयास करने चाहिए थे।
		2012-13	15.80	10.57	5.23	33.1	आरएसएमएमएल द्वारा किसानों की मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं देना, कम वर्षा होने के कारण तिलहन फसल का क्षेत्रफल कम होना तथा जिप्सम आपूर्ति हेतु ट्रकों की अनुपलब्धता।	विभाग को समय से जिप्सम आपूर्ति की सुनिश्चितता तथा अन्य परिवहन के साधनों की उपलब्धता हेतु कार्यवाही करनी चाहिए थी।
		2013-14	16.25	5.14	11.11	68.4	आईसोपॉम योजना में भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होना तथा आरएसएमएमएल द्वारा जिप्सम आपूर्ति नहीं करना।	विभाग को योजना हेतु पर्याप्त निधियों की समुचित उपलब्धता हेतु भारत सरकार से अनुसरण करना चाहिए था।
6.	2401-फसल कृषि-कर्म 800-अन्य व्यय 27-राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (विकेस) 05-मत्स्य पालन विभाग के माध्यम से	**आयोजना**						
		2011-12	2.00	0.87	1.13	56.5	मत्स्य विभाग द्वारा तैयार किये गये प्रस्तावों के आधार पर अनुमान बनाये गये थे।	मत्स्य तथा वन विभाग से उचित अनुमानों की सुनिश्चितता का अंतिम उत्तरदायित्व विभाग का था।
		2012-13	5.00	3.93	1.07	21.4		
		2013-14	2.00	0.82	1.18	59.0		
7.	2401-फसल कृषि-कर्म 800-अन्य व्यय 27-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (विकेस) 15-वन विभाग के माध्यम से	2011-12	10.00	8.22	1.78	17.8	वन विभाग द्वारा तैयार किये गये प्रस्तावों के आधार पर अनुमान बनाये गये थे।	मत्स्य तथा वन विभाग से उचित अनुमानों की सुनिश्चितता का अंतिम उत्तरदायित्व विभाग का था।
		2012-13	8.00	3.07	4.93	61.6		
		2013-14	15.00	10.04	4.96	33.1		

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	कुल प्रावधान	व्यय	सकल बचत	बचतों का प्रतिशत	कारण	लेखापरीक्षा टिप्पणी
8.	4401-फसल कृषि-कर्म पर पूँजीगत परिव्यय 800-अन्य व्यय 03-राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (विकेस) 01-कृषि विभाग के माध्यम से	2011-12	25.00	16.12	8.88	35.5	अनुमान 16 अन्य विभागों द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं पर आधारित थे।	16 अन्य कार्यकारी विभागों द्वारा तैयार किये गये योजनाओं के अनुमानों के अंतिमीकरण का अंतिम उत्तरदायित्व विभाग का था।
		2012-13	10.00	6.75	3.25	32.5		
		2013-14	7.00	0.58	6.42	91.7		
9.	4401-फसल कृषि-कर्म पर पूँजीगत परिव्यय 800-अन्य व्यय 03-राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (विकेस) 03-पशुपालन विभाग के माध्यम से	2011-12	4.99	0.99	4.00	80.2	अनुमान 16 अन्य विभागों द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं पर आधारित थे।	अन्य विभागों द्वारा तैयार किये गये योजनाओं के अनुमानों के अंतिमीकरण का अंतिम उत्तरदायित्व विभाग का था।
		2012-13	2.00	0.21	1.79	89.5		
		2013-14	2.00	0.62	1.38	69.0		

स्त्रोत: विनियोग लेखे तथा विभागीय उत्तर

ऊपर दिये गये निरन्तर बचतों के प्रकरणों में व्यय पर विभाग का अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण तथा निधियों का अन्य विकासात्मक उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं हो सकने को भी इंगित करता है।

अनुदान संख्या 42-उद्योग

उद्योग विभाग

वर्ष 2011-14 की अवधि के दौरान, अनुदान संख्या 42 के अन्तर्गत ₹ 0.32 करोड़ एवं ₹ 2.80 करोड़ के मध्य की निरन्तर बचतें कुल प्रावधानों के 3 से 100 प्रतिशत के मध्य रही, जैसाकि **तालिका 2.8** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.8: अनुदान संख्या 42-उद्योग के अन्तर्गत निरन्तर बचतें

(₹ करोड़ में)

क.सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	कुल प्रावधान	व्यय	सकल बचतें	बचतों का प्रतिशत	कारण	लेखापरीक्षा टिप्पणी
1	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग 103-हथकरघा उद्योग 09-एकीकृत हथकर्घा विकास कार्यक्रम	**केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाऐं**						
		2011-12	2.00*	1.60	0.40	20.0	भारत सरकार से कम वित्तीय स्वीकृतियाँ प्राप्त होना	पिछले वर्षो के व्यय की प्रवृत्तियों को ध्यान में नही रखा गया। विशाल बचतें गलत अनुमान को इंगित करती है, राज्य सरकार को भारत सरकार से नवीन प्रस्तावों हेतु समयपूर्ण लक्ष्यों एवं निधियों की प्राप्तियों हेतु अनुसरण करना चाहिये। परियोजनाओं के कार्यकारी अभिकरणों में अनुश्रवण में कमी रही।
		2012-13	1.05	0.10	0.95	90.5	भारत सरकार द्वारा नवीन प्रस्ताव हेतु लक्ष्य निर्धारित नहीं करना	
		2013-14	1.05	-	1.05	100.0	भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नही होना	

(₹ करोड़ में)

क.सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	कुल प्रावधान	व्यय	सकल बचतें	बचतों का प्रतिशत	कारण	लेखापरीक्षा टिप्पणी
2	2852-उद्योग 80-सामान्य 001-निदेशन तथा प्रशासन 01-निदेशन तथा अधीक्षण	आयोजना-भिन्न						
		2011-12	8.34*	8.02	0.32	3.8	पदों का रिक्त रहना	रिक्त पदों का प्रावधान रखना राबनि के प्रावधानों का उल्लंघन था।
		2012-13	8.88	8.15	0.73	8.2		
		2013-14	10.17	9.00	1.17	11.5		
3	2852-उद्योग 80-सामान्य 001-निदेशन तथा प्रशासन 04-जिला उद्योग केन्द्र	आयोजना-भिन्न						
		2011-12	24.08*	22.33	1.75	7.3	पदों का रिक्त रहना	रिक्त पदों के लिए प्रावधान रखना राबनि के प्रावधानों का उल्लंघन था।
		2012-13	25.61	22.81	2.80	10.9		
		2013-14	27.12	24.51	2.61	9.6		

* अनुपूरक प्रावधानों सहित

स्त्रोत: विनियोग लेखे तथा विभागीय उत्तर

ऊपर वर्णित प्रकरणों में निरन्तर बचतें, व्यय पर विभाग का अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण इंगित करती हैं।

अनुदान संख्या 47-पर्यटन

पर्यटन विभाग

वर्ष 2011-14 की अवधि के दौरान, अनुदान संख्या 47 के अन्तर्गत ₹ 0.15 करोड़ एवं ₹ 2.08 करोड़ के मध्य की निरन्तर बचतें कुल प्रावधानों के 6 से 51 प्रतिशत के मध्य रही, जैसाकि **तालिका 2.9** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.9: अनुदान संख्या 47-पर्यटन के अन्तर्गत निरन्तर बचतें

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	कुल प्रावधान	व्यय	सकल बचतें	बचत का प्रतिशत
1	3452-पर्यटन 80-सामान्य 001-निदेशन तथा प्रशासन	आयोजना भिन्न				
		2011-12	5.93	5.50	0.43	7.3
		2012-13	6.73	6.30	0.43	6.4
		2013-14	7.35	6.57	0.78	10.6
2.	3452-पर्यटन 80-सामान्य 800-अन्य व्यय 07-राजस्थान मेला आयोजन प्राधिकरण	आयोजना				
		2011-12	0.50*	0.30	0.20	40.0
		2012-13	1.28*	1.13	0.15	11.7
		2013-14	1.20	0.70	0.50	41.7
3	5452-पर्यटन पर पूँजीगत व्यय 80-सामान्य 800-अन्य व्यय 05-ग्रामीण पर्यटन का विकास	आयोजना				
		2012-13	4.95	2.87	2.08	42.0
		2013-14	3.71	1.83	1.88	50.7

* अनूपूरक प्रावधान सहित

स्त्रोत: विनियोग लेखे।

विभाग ने बचतों के कारण, मुख्यत: पदों का रिक्त रहना, पर्यटक पुलिस[4] के पदों का समाप्त होना, पुरातत्व विभाग द्वारा कम व्यय करना तथा अक्टूबर 2013 में

[4] पुलिस विभाग के व्यक्तियों को पर्यटन विभाग में प्रतिनियुक्ति पर पर्यटन पुलिस के रूप में लगाना था।

चुनाव आचार संहिता लगना, बताये हैं। विभागीय उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि रिक्त पदों का बजट अनुमान रखना राबनि के प्रावधानों का उल्लंघन था।

2.3.3 आधिक्य व्यय

14 प्रकरणों में, कार्यक्रम प्रदाता विभागों ने विधानमण्डल द्वारा अनुदानों के माध्यम से निर्धारित की गयी सीमाओं से अधिक ₹ 79.76 करोड़ का व्यय किया। इन प्रकरणों में आधिक्य व्यय, प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक और कुल प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक था ***(परिशिष्ट 2.2)***।

निधियों के अपर्याप्त प्रावधान के परिणामस्वरूप आधिक्य व्यय हुआ जो, बजटिंग एवं व्यय नियंत्रण में कमी को इंगित करता है।

2.3.4 गत वर्षों (2010-13) से सम्बन्धित प्रावधानों से आधिक्य जिनका नियमन अपेक्षित है

भारत के संविधान की धारा 205 के अनुसार, राज्य सरकार के लिये अनुदान/विनियोग में हुए आधिक्य का राज्य विधानमण्डल द्वारा नियमन करवाना अनिवार्य है। यद्यपि व्यय के नियमितीकरण के लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी है तथापि, आधिक्य व्यय का नियमितीकरण जन लेखा समिति द्वारा विनियोग लेखे पर चर्चा पूर्ण होने के बाद किया जाता है।

वर्ष 2010-13 के लिये 11 अनुदानों में आधिक्य व्यय की राशि ₹ 19.93 करोड़ का नियमन किया जाना शेष था (5 सितम्बर 2014 तक)। वर्षवार विवरण को नीचे **तालिका 2.10** में सारीकृत किया गया है।

तालिका 2.10: गत वर्षों के प्रावधान से आधिक्य जिनका नियमन अपेक्षित है

वर्ष	अनुदानों/ विनियोगों की कुल संख्या	अनुदान/विनियोग संख्या एवं नाम	अनुदान/विनियोग	आधिक्य की राशि (₹ करोड़ में)	जनलेखा समिति (जलेस) द्वारा परीक्षण किये जाने की स्थिति (5 सितम्बर 2014 तक)
2010-11	4	20-आवास	पूंजीगत-दत्तमत	2.16	जलेस द्वारा परीक्षण किया गया। यद्यपि, सरकार से कियान्विति विषयक टिप्पणी अपेक्षित है।
		27-पेयजल योजना	राजस्व-दत्तमत	15.70	
		28-ग्रामीण विकास के लिये विशेष कार्यक्रम	राजस्व-दत्तमत	1.90	
		38-लघु सिंचाई एवं भू संरक्षण	पूंजीगत-दत्तमत	0.01	
	2	13-आबकारी	राजस्व-प्रभारित	[5]	
		15-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	राजस्व-प्रभारित	0.03	
2011-12	1	48-विद्युत	पूंजीगत-दत्तमत	0.01	जलेस द्वारा परीक्षण नहीं किया गया
	2	12-अन्य कर	राजस्व-प्रभारित	0.11	जलेस द्वारा परीक्षण नहीं किया गया

[5] केवल ₹ 54,783

वर्ष	अनुदानों/ विनियोगों की कुल संख्या	अनुदान/विनियोग संख्या एवं नाम	अनुदान/विनियोग	आधिक्य की राशि (₹ करोड़ में)	जनलेखा समिति (जलेस) द्वारा परीक्षण किये जाने की स्थिति (5 सितम्बर 2014 तक)
		36-सहकारिता	राजस्व-प्रभारित	[6]	जलेस द्वारा परीक्षण नहीं किया गया
2012-13	2	11-विभिन्न सामाजिक सेवायें	राजस्व-प्रभारित	0.01	जलेस द्वारा परीक्षण नहीं किया गया
		20-आवास	राजस्व-प्रभारित	[7]	जलेस द्वारा परीक्षण नहीं किया गया
योग	**11**			**19.93**	

स्त्रोत: विनियोग लेखे।

2.3.5 वर्ष 2013-14 के दौरान प्रावधानों से आधिक्य जिनका नियमन अपेक्षित है

वर्ष 2013-14 के दौरान, एक विनियोग तथा एक अनुदान में राज्य की समेकित निधि से प्राधिकृत राशि से अधिक कुल आधिक्य ₹ 80.93 लाख रही, जिसका संविधान की धारा 205 के अधीन नियमन करवाना अपेक्षित है जिसे **तालिका 2.11** द्वारा दर्शाया गया है:

तालिका 2.11: वर्ष 2013-14 के दौरान प्रावधानों से आधिक्य जिसका नियमन अपेक्षित है

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	विनियोग/अनुदान की संख्या एवं नाम	कुल विनियोग	व्यय	आधिक्य
राजस्व-प्रभारित				
1.	16-पुलिस	*13.08*	*13.31*	*0.23*
पूँजीगत दत्तमत				
2.	41-सामुदायिक विकास	610.84	691.54	80.70
	कुल योग	**623.92**	**704.85**	**80.93**

स्त्रोत: विनियोग लेखे।

वित्त विभाग द्वारा, राज्य की समेकित निधि से प्राधिकृत राशि से आधिक्य व्यय के कारणों को प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), राजस्थान को सूचित नहीं किया गया।

2.3.6 अनावश्यक/अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान

राबनि का पैरा 24.2 प्रावधित करता है कि यदि वित्तीय वर्ष के दौरान किसी उद्देश्य के लिये उपलब्ध कराई गई राशि अपर्याप्त रहती है अथवा किसी उद्देश्य या सेवा, जिसके लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया है, पर व्यय करनें की आवश्यकता होती है तो विधानमण्डल द्वारा अनुपूरक प्रावधान स्वीकृत किया जा सकता है। वर्ष 2013-14 के दौरान 15 प्रकरणों (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) में लिया गया ₹ 1,435.14 करोड़ का समग्र अनुपूरक प्रावधान

[6] केवल ₹ 57

[7] केवल ₹ 2,100

अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय, मूल प्रावधान के बराबर भी नहीं हुआ ***(परिशिष्ट 2.3)***। महत्वपूर्ण प्रकरण जिनमें प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ से अधिक के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुये, नीचे **तालिका 2.12** में विवेचित किये गये है:

तालिका 2.12: वर्ष 2013-14 के दौरान ऐसे मामलें जहाँ अनुपूरक प्रावधान (₹ 100 करोड़ से अधिक) अनावश्यक रहा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संख्या तथा अनुदान का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	व्यय	अनुपूरक प्रावधानों के कारण
1	24-शिक्षा कला एवं संस्कृति	14,453.24	361.85	13,611.65	प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन एवं भत्तों के भुगतान के लिए तथा लेपटॉप वितरण हेतु अतिरिक्त व्यय।
2	26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	4,102.26	214.69	3,999.51	राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर की पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु तथा भारत सरकार द्वारा जारी निधियों की प्रत्याशा में राज्यांश जारी करने के लिए।
3	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	1,648.59	174.07	1,599.82	फरवरी 2014 में लिया गया ₹ 174.07 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान मुख्यत: शहरी जलापूर्ति योजना के अन्तर्गत सीकर, झुंझुनू एवं खेतड़ी एकीकृत जलापूर्ति योजना हेतु, भारत सरकार से कन्या आश्रम छात्रावासों के निर्माण हेतु, विभिन्न विद्युत वितरण निगमों[8] में पूँजी विनियोजन हेतु तथा नाबार्ड से वित्तपोषित आरआईडीएफ की सड़कों के निर्माण हेतु।
4	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	1,861.40	231.62	1,817.94	राजीव आवास योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से अतिरिक्त निधियाँ प्राप्त करने हेतु, विभिन्न विद्युत वितरण निगमों[8] में पूँजी विनियोजन हेतु तथा नाबार्ड से वित्तपोषित आरआईडीएफ की सड़कों के निर्माण हेतु।

स्त्रोत: विनियोग लेखे।

ऊपर दिये गये सभी प्रकरणों में, यह पाया गया कि अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए, क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से भी कम था। यह इन विभागों द्वारा वित्त वर्ष की शेष अवधि के लिये निधियों की आवश्यकता के आंकलन में त्रुटि एवं व्यय के प्रवाह के अनुश्रवण में विफलता, जैसाकि राबनि के अध्याय 21 में विहित है, को इंगित करता है। इस प्रकार इन उप-शीर्षो के अन्तर्गत अनुपूरक प्रावधान वास्तविक आवश्यकता के निर्धारण के बिना किये गये।

2.3.7 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन, किसी अनुदान के अन्तर्गत विनियोग की एक इकाई जहाँ प्रत्याशित बचत है, से दूसरी इकाई जहाँ अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है, में निधियों का अंतरण है।

[8] जयपुर, जोधपुर तथा अजमेर

अविवेकपूर्ण किया गया पुनर्विनियोजन अत्यधिक, अनावश्यक अथवा अपर्याप्त सिद्ध हुआ, परिणामस्वरूप 97 उप-शीर्षों में ₹ 46.53 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ एवं 373 उप-शीर्षों में ₹ 223.96 करोड़ की अंतिम बचतें रही। 30 लेखा शीर्षों में पुनर्विनियोजन के बाद ₹ एक करोड़ से अधिक का अंतिम आधिक्य/बचत हुई ***(परिशिष्ट 2.4)***। 17 लेखा शीर्षों में अपर्याप्त पुनर्विनियोजन, 6 लेखा शीर्षों में अनावश्यक पुनर्विनियोजन एवं 7 लेखा शीर्षों में अत्यधिक पुनर्विनियोजन हुआ। इससे इंगित होता है कि इस प्रकार के पुनर्विनियोजन से पहले निधियों की आवश्यकता/उपलब्धता का सही आंकलन नहीं किया गया।

2.3.8 अवर्णित पुनर्विनियोजन

राबनि के पैरा 23.15.6 में उल्लिखित है कि प्रत्याशित बचतों अथवा आधिक्यों के कारण स्पष्ट किये जाने चाहिये। वित्त विभाग द्वारा जारी (31 मार्च 2014) पुनर्विनियोजन आदेशों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 1,918 प्रकरणों में से मात्र 674 प्रकरणों के पूर्ण स्पष्टीकरण प्राप्त हुये, बकाया 1,244 प्रकरणों के स्पष्टीकरण सामान्य प्रकृति जैसे कि 'वास्तविक आवश्यकता', 'नवीनतम आंकलन पर आधारित' तथा 'व्यय का प्रतिबंध' आदि दर्शाये गये थे। यह राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम के अनुभाग 4 में निर्दिष्ट पारदर्शिता सिद्धान्त के विपरीत है।

2.3.9 प्रत्याशित बचतों का अनभ्यर्पण

राबनि के पैरा 23.16 के अनुसार अनुदान, जो उचित रूप से उपयोजित नहीं हो सके, अभ्यर्पित किये जाने चाहिये। वर्ष 2013-14 के दौरान, ₹ 9,733.91 करोड़ की कुल बचतों में से ₹ 9,233.15 करोड़ (94.9 प्रतिशत) की राशि वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस में अभ्यर्पित की गई। इनमें से, 46 प्रकरणों (35 अनुदान एवं 1 विनियोग) में ₹ 9,045.14 करोड़, जहाँ बचतों के प्रत्येक प्रकरण ₹ 20 करोड़ से अधिक के थे, वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस को अभ्यर्पित किये गये ***(परिशिष्ट 2.5)***, जबकि 16 अनुदानों में, जहाँ बचतें (₹ 4,335.88 करोड़) प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ अथवा इससे अधिक थी, ₹ 563.86 करोड़ (13 प्रतिशत) की राशि अभ्यर्पित नहीं की गई ***(परिशिष्ट 2.6)***।

यह वास्तविक वित्तीय नियोजन की कमी एवं कमजोर वित्तीय नियंत्रण को इंगित करता है। इस प्रकार मुख्य नियंत्रण अधिकारियों एवं विभागीय अध्यक्षों द्वारा राबनि में विहित बजटीय नियंत्रणों की उपेक्षा की गई तथा वित्त विभाग राज्य बजट पर सम्पूर्ण वित्तीय नियंत्रण रखने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप अन्य विकासात्मक उद्देश्यों हेतु निधियाँ वंचित रही।

विभागों ने वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस को बचतों के अभ्यर्पण के संबंध में कोई कारण/स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किये (नवम्बर 2014)।

2.3.10 एक मुश्त प्रावधान

राबनि के पैरा 13.16 में निर्दिष्ट है कि नियमानुसार अनुमानों में एक मुश्त प्रावधान नहीं किया जाना चाहिये। यद्यपि, कुछ मामलों में एकमुश्त प्रावधान अपरिहार्य हो सकता है। प्रकरणों, जहां एकमुश्त आवंटन से व्यय प्रचलित स्वीकृतियों, अनुदेशों अथवा नियमों से विनियमित होता है, को छोड़कर बजट नोट में एकमुश्त अनुमानों के प्रस्तावित प्रावधानों हेतु विस्तृत स्पष्टीकरण दिये जाने चाहिये।

अनुमानों में वर्ष 2013-14 के दौरान, 114 प्रकरणों (26 अनुदानों एवं 1 विनियोग में ₹ पाँच करोड़ से अधिक और बजट प्रावधान के 50 प्रतिशत से अधिक) में ₹ 3,859.29 करोड़ का एक मुश्त प्रावधान किया गया। इनमें से ₹ 3,477.58 करोड़ (90.1 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अनुपयोजित रहे, जिसे वर्ष के अन्त में अभ्यर्पित किया गया ***(परिशिष्ट 2.7)*** एवं शेष राशि ₹ 381.71 करोड़ पुनर्विनियोजित की गई। इन प्रकरणों में राज्य सरकार द्वारा एक मुश्त बजट प्रावधान करने के कारण सूचित नहीं किये गये (नवम्बर 2014)।

2.3.11 वास्तविक बचतों से अधिक अभ्यर्पण

चार अनुदानों में ₹ 726.03 करोड़ की बचतों के समक्ष ₹ 791.34 करोड़ की राशि अभ्यर्पित की गई, जो कि ₹ 65.31 करोड़ अधिक थी ***(परिशिष्ट 2.8)*** जो इंगित करता है कि विभाग मासिक व्यय विवरणों के माध्यम से व्यय के प्रवाह पर आवश्यक बजटीय नियंत्रण रखने में विफल रहे। विभागों ने वास्तविक बचतों से अधिक अभ्यर्पण के सम्बन्ध में कोई कारण/स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किये (नवम्बर 2014)।

2.3.12 व्यय की अधिकता

व्यय की समान गति बनाये रखना सुदृढ़ लोक वित्तीय प्रबन्धन का एक निर्णायक घटक है। वित्तीय वर्ष के अन्तिम माहों में व्यय की अधिकता से बचना चाहिये।

वर्ष 2013-14 के दौरान, 70 उप-शीर्षों ***(परिशिष्ट 2.9)*** में ₹ 12,769.11 करोड़ (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 करोड़ से अधिक एवं कुल व्यय के 30 प्रतिशत से अधिक) का व्यय वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में किया गया, जो कि कुल व्यय का 49 प्रतिशत था। इसमें से ₹ 9,027.71 करोड़ (34.6 प्रतिशत) केवल मार्च 2014 में व्यय किये गये।

मुख्य शीर्षों, जिनमें वित्तीय वर्ष के दौरान 50 प्रतिशत से अधिक व्यय या तो अंतिम तिमाही या अंतिम माह के दौरान किया गया, नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 2.13: वित्तीय वर्ष 2013-14 के अंत में व्यय की अधिकता के मामलें

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष के अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2014 के दौरान व्यय	
			राशि	कुल व्यय से प्रतिशत	राशि	कुल व्यय से प्रतिशत
1.	2075-विविध सामान्य सेवाये	422.98	421.89	99.7	421.71	99.7
2.	2425-सहकारिता	451.02	387.71	86.0	374.20	83.0
3.	3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें	15.33	11.45	74.7	10.45	68.2
4.	3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	248.69	248.65	100.0	248.08	99.8
5.	4236-पोषण पर पूंजीगत परिव्यय	43.67	43.67	100.0	43.67	100.0
6.	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	3,953.00	2,120.89	53.7	2,095.89	53.0
7.	4860-उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	43.00	43.00	100.0	43.00	100.0
8.	5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	44.84	28.07	62.6	25.55	57.0
	योग	**5,222.53**	**3,305.33**	**63.3**	**3,262.55**	**62.5**

स्त्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान।

इसमें से, कुल राशि (₹ 14,229.32 करोड़) के 9.20 प्रतिशत (₹ 1,309.63 करोड़) अकेले मार्च 2014 के दौरान निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित/जमा किये गये जैसा कि **अनुच्छेद 3.6** में विस्तृत है।

इस प्रकार, विभागों द्वारा वर्ष के अंत में बड़ी राशि खर्च करना व्यय पर कमजोर वित्तीय नियंत्रण को इंगित करता है।

2.4 बजट प्रतिपादन एवं बजटीय नियंत्रण

अनुदान संख्या 28-'ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम' के अन्तर्गत तीन मुख्य राजस्व शीर्षों[9] में बजट प्रतिपादन एवं बजटीय नियंत्रण की समीक्षा के दौरान निम्नलिखित स्थिति प्रकट हुई:

वर्ष 2011-14 की अवधि के दौरान अनुदान में राजस्व व्यय के अन्तर्गत बचतें 14.1 प्रतिशत एवं 60.3 प्रतिशत के मध्य घटती बढ़ती रही। यथार्थ में, पिछले दो वर्षों के दौरान बचतों का प्रतिशत 58 प्रतिशत से अधिक रहा। उक्त अवधि के दौरान निरन्तर बचतों की प्रवृत्तियाँ, विशेषकर वर्ष 2010-11 में ₹ 1.90 करोड़ के

[9] (i) 2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम (ii) 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम और (iii) 2810-नवीन और नवीनीकरण योग्य उर्जा

आधिक्य के परिप्रेक्ष्य में, अनुमानों में कमियों को इंगित करता है जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 2.14: वर्ष 2010-14 के दौरान बचत/आधिक्य की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	मूल बजट	अनुपूरक	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य(+)	प्रतिशत
2010-11	47.44	26.59	74.03	75.93	(+) 1.90	2.57
2011-12	70.69	5.35	76.04	65.32	(-)10.72	14.1
2012-13	140.53	0.07	140.60	55.77	(-) 84.83	60.3
2013-14	52.01	-	52.01	21.62	(-) 30.39	58.4

स्त्रोत: विनियोग लेखे।

(ii) आगे, वर्ष 2011-14 की अवधि के दौरान अनुदान में उपशीर्ष '2501-06-196-02-01 (आयोजना) की जाँच में निम्न बचतें प्रकट हुई:

तालिका 2.15: अवधि 2011-14 के दौरान निरन्तर बचतें

(₹ लाख में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	कुल बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें	बचतों का प्रतिशत
2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम 06-स्वरोजगार कार्यक्रम (राज्यांश) 196-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता 02-ग्रामीण हाट 01-अनुदान	2011-12	25.00	-	25.00	100
	2012-13	22.50	7.50	15.00	66.7
	2013-14	22.50	-	22.50	100

स्त्रोत: विनियोग लेखे।

बचतें, 66.7 प्रतिशत एवं 100 प्रतिशत के मध्य रही। विभाग ने बचत का मुख्य कारण भारत सरकार से निधियाँ कम/नहीं प्राप्त होना बताया (जुलाई 2014)। उत्तर सही नहीं है क्योंकि बचतें इंगित करती है कि संबंधित विभाग में बजटरी नियंत्रण प्रभावी नहीं था जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक वर्ष निधियों का अवरोधन हुआ, जिनका उपयोग उपशीर्ष 'ग्रामीण हाट' के अन्तर्गत अन्य विकासात्मक कार्यों में किया जा सकता था।

मामला राज्य सरकार के ध्यान में लाने हेतु भेजा गया (सितम्बर 2014)। उत्तर प्रतीक्षित रहा (नवम्बर 2014)।

2.5 चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम

अनुदान संख्या 17-'जेल' एवं अनुदान संख्या 33-'सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण' के अन्तर्गत वर्ष 2011-14 की अवधि के लिये व्ययों एवं प्राप्तियों की समीक्षा में निम्नलिखित स्थिति प्रकट हुई:

अनुदान संख्या 17-जेल

गृह विभाग

(अ) राजस्व व्यय

समग्र राजस्व व्यय, गत वर्षो से 17.19 प्रतिशत तथा 18.04 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, जैसाकि नीचे सारीकृत है:

तालिका 2.16: वर्ष 2011-14 के दौरान मूल/अनुपूरक प्रावधान के सम्मुख व्यय की सारीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	व्यय	बचतें	प्रतिशतता	
							बचतें	व्यय में वृद्धि दर
2056-जेल	2011-12	75.71	8.22	83.93	78.69	5.24	6.24	-
	2012-13	84.82	12.05	96.87	92.22	4.65	4.80	17.19
	2013-14	103.54	10.03	113.57	108.86	4.71	4.15	18.04

स्त्रोत: विनियोग लेखे।

(ii) जब तक कि नवीन मदों पर व्यय प्रत्याशित नहीं हो एवं इसे बढ़ाया न गया हो, तब तक आयोजना-भिन्न व्यय की वृद्धि दर सामान्यत: 10 प्रतिशत के लगभग मानी जाती है। कुछ उपशीर्षो के विश्लेषण करने पर पाया गया कि व्यय की वृद्धि दर की प्रवृत्ति 14.05 प्रतिशत एवं 33.49 प्रतिशत के मध्य रही जैसा कि नीचे सारीकृत है:

तालिका 2.17: वर्ष 2011-14 के दौरान अनुदान 17 के अन्तर्गत निश्चित उपशीर्षो के व्यय की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	व्यय	व्यय की वृद्धि दर	वृद्धिदर की प्रतिशतता
2056-जेल 101-जेल 01-मुख्य जेल	2011-12	37.09	3.88	40.97	38.78	-	-
	2012-13	42.06	5.40	47.46	44.23	(+) 5.45	14.05
	2013-14	47.23	6.97	54.20	51.40	(+) 7.17	16.21
2056-जेल 101-जेल 02-जिला जेल	2011-12	17.52	2.00	19.52	18.72	-	-
	2012-13	20.08	5.65	25.73	24.99	(+) 6.27	33.49
	2013-14	28.01	1.50	29.51	29.20	(+) 4.21	16.85
2056-जेल 101-जेल 03-लॉक अप	2011-12	13.75	0.70	14.45	13.37	-	
	2012-13	15.68	0.55	16.23	15.37	(+)2.00	14.96
	2013-14	17.56	-	17.56	17.82	(+) 2.45	15.94
2056-जेल 800-अन्य व्यय 03-महिला बंदियों हेतु सुधार गृह	2011-12	1.00	-	1.00	0.93	-	-
	2012-13	1.09	-	1.09	1.13	(+) 0.20	21.51
	2013-14	1.16	-	1.16	1.33	(+) 0.20	17.70

स्त्रोत: विनियोग लेखे।

विभाग द्वारा व्यय में बढ़ोतरी, मानदेय तथा भत्तों का अधिक भुगतान होना, लम्बित बिलों का भुगतान, कार्यालय व्यय में वृद्धि तथा खाने की सामग्री की दरों में वृद्धि के कारण होना बताया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सभी व्यय आयोजना-भिन्न शीर्ष के अन्तर्गत किये गये थे तथा बकाया भुगतान/लम्बित बिलों से संबंधित थे, जिनकी प्रत्याशा बजट अनुमान तैयार करते समय लगायी जा सकती थी।

(iii) आगे, वर्ष 2011-14 की अवधि के दौरान उप-शीर्ष '2056-101-03' के अन्तर्गत बजटीय स्थिति की जाँच में इंगित हुआ कि वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 में लिया गया अनुपूरक अनुदान अनावश्यक रहा जिससे काफी बचत हुई जैसाकि नीचे दर्शाया गया है। तथापि, वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय का आधिक्य रहा क्योंकि अनुपूरक मांग का प्रावधान नहीं किया गया था।

तालिका 2.18: वर्ष 2011-14 के दौरान अनावश्यक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक	कुल प्रावधान	व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
2056-जेल	2011-12	13.75	0.70	14.45	13.37	(-) 1.08
101-जेल	2012-13	15.68	0.55	16.23	15.37	(-) 0.86
03-लॉक अप	2013-14	17.56	-	17.56	17.82	(+) 0.26

स्त्रोत: विनियोग लेखे।

विभागीय उत्तर कि बड़ी संख्या में उप-जेलों के होने से खाद्य बिलों के प्रावधानों में बढ़ोतरी हुई, मान्य नहीं है क्योंकि उप-जेलों की संख्या के बारे में विभाग को अनुमान तैयार करते समय पता था।

(ब) पूँजीगत व्यय

पूंजीगत लेखा के अन्तर्गत व्यय का नियंत्रण अधिकारी महानिदेशक, जेल है।बजट अनुमानों में प्रावधानों के निरन्तर बढ़ोतरी के बावजूद बचतों की प्रवृत्ति तथा परिमाण, विभाग में अल्प मात्रा में पूँजीगत कार्यो के होने को इंगित करते है, जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 2.19: वर्ष 2011-14 के दौरान लगातार बचतें

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक	कुल प्रावधान	व्यय	बचतें	बचतों का प्रतिशत
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय 80-सामान्य 051-निर्माण 04-सामान्य भवन (जेल)	2011-12	5.33	3.52	8.85	0.18	(-) 8.67	97.97
	2012-13	44.79	-	44.79	5.44	(-) 39.35	87.85
	2013-14	48.83	-	48.83	19.76	(-) 29.07	59.53

स्त्रोत: विनियोग लेखे।

राज्य सरकार ने बजट घोषणा 2011-12 के दौरान, पाँच जिलों (अजमेर, बीकानेर, दौसा, जयपुर तथा कोटा) में तीन वर्षों में ₹ 116 करोड़ की अनुमानित लागत से दण्डित/विचाराधीन बंदियों को रखने के लिए कारागारों की क्षमता में बढ़ोतरी हेतु जेल भवन बनवाने की घोषणा (9 मार्च 2011) की। ₹ 104.32 करोड़ की स्वीकृतियाँ प्रदान की गई (जनवरी 2012)। वर्ष 2011-14 की अवधि के दौरान पूंजीगत शीर्षों के अन्तर्गत उल्लेखनीय बचतें रहने के उपरान्त भी केवल ₹ 16.04 करोड़ (15.38 प्रतिशत) व्यय किये गये जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 2.20: उप जेलों के निर्माण के लिए स्वीकृत राशि के समक्ष अनुपयोगी राशि की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कार्य का स्थान	स्वीकृत राशि	किया गया व्यय	अनुपयोगी राशि	कार्य की स्थिति (31 अगस्त 2014 को)
1.	जयपुर	7.61	5.66	1.95	कार्य प्रगति पर है।
2.	अजमेर	7.04	6.36	0.68	कार्य प्रगति पर है।
3.	बीकानेर	3.10	1.95	1.15	कार्य प्रगति पर है।
4.	दौसा	31.12	0.07	31.05	निविदा प्रक्रिया प्रगति पर है।
5.	कोटा-I	24.33	1.93	22.40	जमीन पर कब्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रगति पर है।
6.	कोटा-II	31.12	0.07	31.05	
	योग	**104.32**	**16.04**	**88.28**	

स्त्रोत: जेल विभाग

(स) राजस्व प्राप्तियाँ

जेल विभाग के राजस्व प्राप्ति शीर्ष '0056-जेल' में, जेल/उप-जेलों में बंदियों द्वारा बनाये गये सामानों की बिक्री, उग्रवादियों के रखरखाव हेतु किये गये व्यय के पुनर्भरण की राशि तथा अनुपयोगी सामग्रियों/वाहनों के निस्तारण से प्राप्तियाँ सम्मिलित है। वर्ष 2011-14 की अवधि के दौरान इस शीर्ष के अन्तर्गत बजट अनुमानों, संशोधित अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों की स्थिति नीचे सारीकृत है:

तालिका 2.21: 2011-14 के दौरान प्राप्तियों का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	संख्या तथा लेखाशीर्ष का नाम	वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	आधिक्य (+)/ कमी (-)	प्रतिशत में विचलन
1.	0056-जेल 102-जेल उत्पादनों की बिक्री	2011-12	20.00	20.00	2.45	(-)17.55	87.75
		2012-13	17.65	4.00	-	(-)4.00	100.00
		2013-14	4.00	-	0.02	(+)0.02	100.00
2.	0056-जेल 800-अन्य प्राप्तियाँ	2011-12	24.10	45.50	179.98	(+)134.48	295.56
		2012-13	17.12	134.47	480.96	(+)346.49	257.67
		2013-14	29.69	40.80	29.32	(-)11.48	28.13

स्त्रोत: वित्त लेखे तथा बजट प्रपत्र।

अत: वास्तविक प्राप्तियों तथा संशोधित अनुमानों में 28.13 प्रतिशत एवं 295.56 प्रतिशत के मध्य विचलन था जो कि अनुमानों में त्रुटियों को इंगित करता था।

मामला राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया (सितम्बर 2014), जिसका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2014)।

अनुदान संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

(अ) व्यय

वर्ष 2013-14 में समग्र राजस्व व्यय गत वर्ष से 116.70 प्रतिशत बढ़ा तथा वर्ष 2012-13 में पूँजीगत व्यय में गत वर्ष से 40.15 प्रतिशत की बढ़ोतरी तथा वर्ष 2013-14 में सीमान्त गिरावट रही, जैसाकि नीचे सारीकृत है:

तालिका 2.22: वर्ष 2011-14 के दौरान मूल/अनुपूरक प्रावधान के साथ वास्तविक व्यय की सारीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक	कुल प्रावधान	व्यय	प्रतिशतता	
						बचत	व्यय की वृद्धि दर
राजस्व	2011-12	1,891.93	168.33	2,060.26	1,969.66	90.60	-
	2012-13	2,331.28	121.87	2,453.15	2,278.76	174.39	(+) 15.70
	2013-14	2,912.15	2,226.06	5,138.21	4,938.15	200.06	(+) 116.70
पूँजीगत	2011-12	56.90	17.28	74.18	52.36	21.82	-
	2012-13	141.59	17.57	159.16	73.38	85.78	(+) 40.15
	2013-14	67.13	17.23	84.36	73.15	11.21	(-) 0.30

स्त्रोत: विनियोग लेखे।

वर्ष 2013-14 के दौरान, राजस्व अनुभाग में पिछले वर्ष से व्यय की वृद्धि दर 116.70 प्रतिशत थी। अभिलेखों की जाँच में निम्नलिखित विदित हुआ:

यह पाया गया कि राजस्थान सामाजिक सुरक्षा के लिए विशेष पेंशन पैकेज हेतु 'वृद्ध, विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा पेंशन नियम, 2013' बनने के बाद, ₹ 400 करोड़ के बजट अनुमान के विरूद्ध ₹ 1,076.05 करोड़ का अनुपूरक अनुदान एवं ₹ 514.71 करोड़ का पुनर्विनियोजन लिया गया तथा ₹ 1,970.69 करोड़ व्यय किये गये। आगे, इस अनुदान में यह पाया गया कि मुख्य शीर्ष 2235[10] के अन्तर्गत प्रतीक प्रावधान[11] के विरूद्ध ₹ 735 करोड़ (विधवाओं के लिए नई पेंशन योजना हेतु) अनुपूरक अनुदान भी प्राप्त किये गये, जबकि इसके विरूद्ध ₹ 490.04 करोड़ खर्च किये गये।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2012-13 में मुख्य शीर्ष 2225[12] के अन्तर्गत व्यय की वृद्धि दर[13] ₹ 19.95 करोड़ से गत वर्ष से 53.3 प्रतिशत अधिक थी, जबकि वर्ष

[10] 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 02-समाज कल्याण, 196-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता, 19-अन्य कार्यक्रम, 15-सामाजिक सुरक्षा विभाग की नवाचार/नवीन योजनाएं

[11] ₹ 3,000.

[12] 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़ें वर्गो तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 01-अनुसूचित जातियों का कल्याण, 793-अनुसूचित जाति घटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता, 01-अनुसूचित जातियों हेतु उपयोजना

[13] वर्ष 2011-12 के लिए व्यय: ₹ 37.46 करोड़: 2012-13 के लिए व्यय: ₹ 57.41 करोड़ तथा 2013-14 के लिए व्यय: ₹ 31.84 करोड़ के लिए व्यय।

2013-14 के दौरान व्यय में ₹ 25.57 करोड़ की गत वर्ष से 44.5 प्रतिशत की कमी रही, जिसका का कारण विभाग ने क्रमशः व्यय में वृद्धि भारत सरकार से अधिक राशि प्राप्त होना तथा व्यय में कमी द्वितीय किश्त प्राप्त नहीं होना बताया। इसके अतिरिक्त, चयनित विस्तृत शीर्षों ***(परिशिष्ट 2.10)*** की वृद्धि में प्रवृत्ति के विश्लेषण करने पर व्यय में असंगत वृद्धि दर पायी गयी जोकि गत वर्षों की तुलना में असामान्य वृद्धि को इंगित करता है।

उपरोक्त स्थिति, त्रुटिपूर्ण अनुमानों एवं बजटीय पूर्वानुमानों का सूचक है।

सम्पूर्ण बजट ₹ 116.72 करोड़ का प्रावधान अनुपयोगी रहना

राबनि का पैरा 13.6 बताता है कि व्यय का अनुमान जहाँ तक हो सके यथार्थ होना चाहिए। अनुमानों में परिहार्य आधिक्य भी वास्तविक व्यय से आधिक्य की तरह ही वित्तीय अनियमितता है।

नमूना जाँच में कुछ उपशीर्षों के विस्तृत विश्लेषण से प्रकट हुआ कि विभाग ने सम्पूर्ण बजट प्रावधानों का उपयोग नहीं किया तथा इसे वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस को अभ्यर्पित किया जैसाकि ***परिशिष्ट 2.11*** में दिया है। इससे जहाँ आवंटित शीर्ष में अनुपयोजन रहा, वहीं अंतिम क्षणों में अभ्यर्पण से दूसरे शीर्षों को निधियों के पुनर्विनियोजन से वंचित रहना पड़ा।

ब. प्राप्तियाँ

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित राजस्व प्राप्ति शीर्ष '0235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण' में सैनिकों, वायु सैनिकों तथा नाविकों के बोर्ड से प्राप्त अंशदान, विस्थापित लोगों के लिए पुनर्वास विभाग की विभिन्न योजनाओं से प्राप्ति, अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं बाल अधिकारिता विभाग की विभिन्न प्राप्तियाँ तथा काम में न आने वाली सामग्रियों/वाहनों की नीलामी से प्राप्तियाँ सम्मिलित है। वर्ष 2011-14 की अवधि के दौरान शीर्ष के अन्तर्गत संशोधित अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों की स्थिति नीचे सारीकृत है:

तालिका 2.23: 2011-14 के दौरान प्राप्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	संशोधित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	वास्तविक प्राप्तियों की संशोधित अनुमानों से विचलन
0235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	2011-12	-[14]	0.81	(+) 0.81
01-पुनर्वास	2012-13	0.24	0.47	(+) 0.23
200-अन्य पुनर्वास योजनाएं	2013-14	1.44	1.15	(-) 0.29
0235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	2011-12	5.83	1.63	(-) 4.20
01-पुनर्वास	2012-13	3.51	2.96	(-) 0.55
800-अन्य प्राप्तियाँ	2013-14	5.74	7.75	(+) 2.01

स्त्रोत: वित्त लेखे तथा बजट प्रपत्र।

[14] केवल ₹ 4000.

वर्ष 2013-14 के दौरान '0235-01-200' के अन्तर्गत वास्तविक प्राप्तियाँ संशोधित अनुमानों से ₹ 0.29 करोड़ से कम रही। साथ ही, '0235-01-800' के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान प्राप्तियाँ, संशोधित अनुमानों के विरूद्ध क्रमशः ₹ 4.20 करोड़ एवं ₹ 0.55 करोड़ की सीमा तक कम प्राप्त हुई थी।

मामला राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया, जिसका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2014)।

2.6 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

राज्य की आकस्मिकता निधि, भारत के संविधान की धारा 267(2) के प्रावधानों के अनुसरण में राजस्थान आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित की गई है। राबनि के अध्याय 5 में परिकल्पित है कि निधि से अग्रिम, वर्ष के दौरान ऐसे अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिये अनुमत्य है जिनका विधानसभा द्वारा प्राधिकृतिकरण लम्बित है। आकस्मिकता निधि से अग्रिम उन परिस्थितियों में व्ययों की पूर्ति के लिए दिया जा सकता है जहाँ (i) व्यय या तो विद्यमान सेवा या नवीन सेवा पर किया जाना हो, (ii) व्यय का पूर्वानुमान वार्षिक बजट तैयार करते समय नहीं किया जा सका हो और (iii) नियमित प्रक्रिया में विधानसभा से अनुपूरक प्रावधान प्राप्त होने तक व्यय स्थगित नहीं किया जा सकता हो। यदि, आकस्मिकता निधि से दिया गया अग्रिम पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से अनुपयोजित रहता है, तो स्वीकृति का निरस्तीकरण अथवा संशोधन वित्त विभाग से प्राप्त किया जाना चाहिये। निधि की प्रकृति एक अग्रदाय के रूप में है तथा इसकी कोष निधि ₹ 200 करोड़ की है।

वर्ष 2013-14 के दौरान, वित्त विभाग द्वारा आकस्मिकता निधि से अग्रिम की ₹ 26 करोड़ की तीन स्वीकृतियाँ जारी की गई। इन स्वीकृतियों की संवीक्षा में निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गईः

(1) वित्त विभाग द्वारा, राजस्थान सरकार के 2013-14 के बजट भाषण की उद्घोषणा के अनुसरण में ग्रामीण क्षेत्रों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा स्वयं सहायता समूहों के बैंकों से सम्बन्धों के सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य सरकार की अंश पूंजी के साथ 'राजस्थान सहकारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड' की स्थापना हेतु, ₹ 10 करोड़ का अग्रिम सहकारिता विभाग को स्वीकृत (अगस्त 2013) किया। स्वीकृति 31 अगस्त 2013 तक प्रभावी थी।

यह दृष्टिगत हुआ कि राज्य विधानमण्डल द्वारा जून 2013 में निगम की स्थापना का अनुमोदन किया गया था तथा निगम की स्थापना 23 अगस्त 2013 को की गई थी। संवीक्षा में पाया गया कि स्वीकृति की प्रभावी तिथि तक निगम द्वारा कोई ऋण वितरित नहीं किया।

विभाग द्वारा बताया गया (जुलाई 2014) कि ऋणों के वितरण हेतु उपरोक्त राशि उपयोजित नहीं की जा सकी क्योंकि पूर्व सरकार द्वारा गत छः माहों में लिये गये निर्णयों जिसमें निगम की स्थापना भी सम्मिलित थी, की समीक्षा वर्तमान सरकार (दिसम्बर 2013) द्वारा की जा रही थी। इस प्रकार, आकस्मिकता निधि से आहरित की गई राशि, ग्रामीण क्षेत्रों के स्वयं सहायता समूहों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वितरित नहीं की जा सकी थी।

राज्य बजट नियमावली के पैरा 5.3 के प्रावधानों के अनुसार आकस्मिकता निधि सरकार को ऐसे व्यय करने में सहायता देती है जिनका बजट अनुमान तैयार करते समय पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता हो और नियमित प्रक्रिया में अनुपूरक अनुदान लेने तक जिन्हें स्थगित नहीं किया जा सकता हो। यह पाया गया कि इन प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। इस प्रकरण में उद्घोषणा राजस्थान सरकार द्वारा बजट भाषण में की गई थी।

(2) 'मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना' के प्रारम्भिक कार्यों हेतु उद्योग विभाग को ₹ एक करोड़ का अग्रिम स्वीकृत (जुलाई 2013) किया गया। स्वीकृति 30 सितम्बर 2013 तक प्रभावी थी परन्तु प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार विभाग द्वारा उक्त तिथि तक मात्र ₹ 0.02 करोड़ ही व्यय किये गये।

लेखापरीक्षा द्वारा की गई जांच में पाया गया कि यद्यपि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013-14 के बजट भाषण में योजना उद्घोषित की गयी थी, तथापि इसके लिये कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया एवं आकस्मिकता निधि से अग्रिम आहरित किया गया। सम्पूर्ण राशि का अनुपयोजन यह इंगित करता है कि व्यय अतिआवश्यक/अप्रत्याशित प्रकृति का नहीं था तथा आकस्मिकता निधि से आहरण उचित नहीं था।

(3) बजट भाषण 2013-14 की उद्घोषणा के अनुसार 'वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, 2013' के निष्पादन हेतु देवस्थान विभाग को ₹ 15 करोड़ की अग्रिम राशि (जून 2013) दी गई। स्वीकृति 30 सितम्बर, 2013 तक प्रभावी थी, परन्तु प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार विभाग द्वारा उक्त तिथि तक ₹ 9.66 करोड़ ही व्यय किये गये, ₹ 5.34 करोड़ शेष बचे रहे।

योजना, बजट भाषण 2013-14 में उद्घोषित की गई थी अतः इसके लिये बजटीय प्रावधान किया जाना चाहिये था। बजट भाषण में उद्घोषित योजना के निष्पादन के लिये निधियों का आकस्मिकता निधि से आहरण अनियमित था।

प्रकरण राज्य सरकार को संदर्भित किया गया (अगस्त 2014), जिसका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2014)।

2.7 सारांशीकृत आकस्मिक बिलों के विरूद्ध विस्तृत आकस्मिक बिलों के प्रस्तुतीकरण में अनियमिततायें

31 दिसम्बर 2010 तक संशोधित सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 8(2) में निर्दिष्ट है कि निधियों का आहरण तभी किया जावे जब तुरंत भुगतान किया जाना हो तथा व्यय या भुगतान किसी नियम या सक्षम प्राधिकारी के सामान्य या विशेष आदेशों के अन्तर्गत प्राधिकृत हो। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों का नियम 219, सारांशीकृत आकस्मिक (एसी) बिलों को बनाने/आहरण करने और विस्तृत आकस्मिक (डीसी) बिलों को नियंत्रण अधिकारियों/प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) को प्रस्तुत किये जाने को विनियमित करता है। आगे, नियम 220(1) में निर्धारित प्रमाण-पत्र, डीसी बिलों को तीन माह (विदेश से मशीनरी/उपकरण एवं अन्य सामान क्रय करने के प्रकरणों को छोड़कर जिनमें यह छः माह में प्रस्तुत किये जायेंगे) की अवधि के भीतर प्रस्तुत करना उपबन्धित करता है।

31 मार्च 2014 तक आहरित ₹ 4,174.63 करोड़ के 40,701 एसी बिलों के विरूद्ध ₹ 3,851.06 करोड़ की राशि के 39,619 डीसी बिल ही प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) द्वारा प्राप्त किये गये, परिणामस्वरूप 31 जुलाई 2014 तक ₹ 323.57 करोड़ के 1,082 एसी बिल बकाया थे। बकाया एसी बिलों का वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 2.24: सांराशीकृत आकस्मिक बिलों के विरूद्ध विस्तृत आकस्मिक बिल के प्रस्तुतीकरण में लम्बन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आहरित एसी बिल		प्राप्त हुए डीसी बिल		असमायोजित एसी बिल	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2008-09 तक	28,137	1,978.00	28,092	1,972.99	45	5.01
2009-10	3,669	708.79	3,664	708.16	5	0.63
2010-11	2,460	419.86	2,429	414.94	31	4.92
2011-12	1,471	197.72	1,421	190.86	50	6.86
2012-13	1,834	253.84	1,749	237.22	85	16.62
2013-14	3,130	616.42	2,264	326.89	866	289.53
योग	**40,701**	**4,174.63**	**39,619**	**3,851.06**	**1,082**	**323.57**

स्त्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान

कुछ असमायोजित एसी बिल राजस्व विभाग (155: ₹ 227.03 करोड़), शिक्षा विभाग (32: ₹ 21.25 करोड़), निर्वाचन विभाग (198: ₹ 16.24 करोड़), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (148: ₹ 11.66 करोड़) और महानिदेशक, पुलिस विभाग (158: ₹ 5.12 करोड़) से संबंधित थे। जुलाई 2014 की अवधि तक लम्बित डीसी बिलों का मुख्य शीर्षवार विवरण ***परिशिष्ट 2.12*** में दिया गया है।

चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य से संबंधित मुख्य शीर्ष '2210' एवं '4210' के अन्तर्गत प्रस्तुतीकरण में लम्बित डीसी बिलों की समीक्षा में निम्नलिखित स्थिति पाई गई:

(i) समग्र स्थिति

असमायोजित एसी बिलों की वर्ष वार स्थिति निम्नानुसार थी:

तालिका 2.25: चिकित्सा विभाग के अन्तर्गत असमायोजित सारांशीकृत आकस्मिक बिल

(₹ लाख में)

मुख्य शीर्ष	वर्ष	आहरित एसी बिल		प्राप्त डीसी बिल		असमायोजित एसी बिल	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2210	2011-12 तक	435	1,758.46	431	1,685.02	4	73.44
	2012-13	76	755.06	69	564.32	7	190.74
	2013-14	338	1,410.20	201	508.66	137	901.54
	योग	**849**	**3,923.72**	**701**	**2,758.00**	**148**	**1,165.72**
4210	2011-12 तक	96	1,310.72	95	1,308.47	1	2.25
	2012-13	23	1,135.10	15	559.78	8	575.32
	2013-14	12	562.04	2	2.70	10	559.34
	योग	**131**	**3,007.86**	**112**	**1,870.95**	**19**	**1,136.91**
	महायोग	**980**	**6,931.58**	**813**	**4,628.95**	**167**	**2,302.63**

स्त्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान

वर्ष 2011-12 तक लम्बित 5 एसी बिलों (₹ 75.69 करोड़) के समायोजन/निस्तारण हेतु कार्यवाही किये जाने एवं विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

वर्ष 2012-13 में मुख्य शीर्ष '4210' के अन्तर्गत ₹ 575.32 लाख की राशि के एसी बिल, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर (राशि ₹ 471 लाख के 3 बिल) एवं एसपी चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर (राशि ₹ 104.32 लाख के 5 बिल), से संबंधित थे। पूछे जाने पर (नवम्बर 2014) वित्तीय सलाहकार, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर ने वर्ष 2013-14 तक डीसी बिलों के अप्रस्तुतीकरण के निम्नलिखित कारण सूचित (नवम्बर 2014) किये:

तालिका 2.26: सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर में विस्तृत आकस्मिक बिलों के अप्रस्तुतीकरण की स्थिति

(₹ लाख में)

क्र. सं.	एसी बिल		ली गई राशि	डीसी बिल प्रस्तुत नहीं करने के कारण
	संख्या	दिनांक		
1.	2031	30.03.2013	86.00	उपकरणों का प्राप्त नहीं होना
2.	2023	30.03.2013	275.00	डीसी बिल 27 मार्च 2014 को प्रस्तुत किये।
3.	2025	30.03.2013	110.00	उपकरणों का प्राप्त नहीं होना

स्त्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान तथा संबंधित विभाग

उपरोक्त प्रकरणों में, उपकरणों को प्राप्त करने का अनुसरण अथवा एसी बिल उचित समय पर आहरित किये जाने का समुचित नियोजन करते हुये डीसी बिलों के प्रस्तुतीकरण/अप्रस्तुतीकरण में विलम्ब से बचा जाना चाहिये था।

एसपी चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर से असमायोजित एसी बिलों के कारण प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2014)।

(ii) एसी बिलों के माध्यम से निधियाँ आहरित करना एवं बिना किसी व्यय के वापिस जमा किया जाना

निम्नलिखित प्रकरणों में, एसी बिलों के माध्यम से आहरित की गई निधियाँ, बिना किसी व्यय किये निर्धारित अवधि से 5 से 10 माह के विलम्ब से, वापिस जमा की गई:

तालिका 2.27: एसी बिलों के माध्यम से निधियाँ आहरण करने एवं बिना किसी व्यय के वापिस जमा कराने के प्रकरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	एसी बिल संख्या/दिनांक	आहरित राशि	चालान संख्या/जमा की दिनांक	विलम्ब माह में	विभाग द्वारा बताये गये कारण	अभ्युक्तियाँ
1.	प्रधानाचार्य, आरएनटी चिकित्सा महाविद्यालय, संयुक्त चिकित्सा संघ, उदयपुर	16/2/1315/ 09.03.12 15/1/1316/ 09.03.12 27/75/1386/ 30.03.12 21/3/1332/ 14.03.12	6.42 7.10 22.92 19.05	92/1.7.13 91/1.7.13 103/16.7.13 102/16.7.13	9 9 9 10	फर्म द्वारा ऑपरेशन कक्ष हेतु चाहे गये उपकरणों की आपूर्ति नहीं करना। कार्यालय द्वारा फर्म की प्रतिभूति जमा जब्त की गई।	कारण स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एसी बिल मार्च 2012 में आहरित किये गये, जबकि राशि जुलाई 2013 में वापिस जमा कराई गयी। स्वीकार्य समयावधि के अंदर सामग्री की आपूर्ति नहीं करने की स्थिति में राशि शीघ्र जमा कराई जानी चाहिये थी।
2.	अतिरिक्त प्रधानाचार्य, एसपी महाविद्यालय, बीकानेर	1332 / 31.3.12	1.30	450/22.3.13	5	राशि, ट्राँसफॉर्मर की स्थापना हेतु आहरित की गई थी, यद्यपि इसकी लागत (₹ 2.50 लाख) अधिक थी। अंत में ट्राँसफॉर्मर जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, बीकानेर द्वारा स्थापित किया गया।	यह ट्राँसफॉर्मर की लागत के अपर्याप्त अनुमानन को प्रदर्शित करता है परिणामस्वरूप राशि वापिस जमा करानी पड़ी।

स्त्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान तथा संबंधित विभाग

(iii) निर्धारित अवधि के बाद डीसी बिलों के माध्यम से एसी बिलों का समायोजन

निम्नलिखित प्रकरणों में, अव्ययीत राशि निर्धारित अवधि के 3 से 15 माह के विलम्ब से जमा कराई गयी।

तालिका 2.28: सारांशीकृत आकस्मिक बिलों के समायोजन में विलम्ब

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	एसी बिल संख्या एवं दिनांक	राशि (₹ लाखों में)	चालान संख्या/ कोषालय में जमा कराने की दिनांक	जमा कराई गई राशि (₹ लाखों में)	विलम्ब माह में
1.	प्रधानाचार्य, सवाईमानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	2055 /27.3.12	400.00	21.10.13	18.19	12
2.	अतिरिक्त प्रधानाचार्य, एसपी चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर	524 / 14.9.11 523 / 14.9.11 527 / 14.9.11	82.50 52.75 43.00	450/22.3.13 उपरोक्त उपरोक्त	8.72 8.54 1.69	15 15 12
3.	अतिरिक्त प्रधानाचार्य, पी एण्ड सी, चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा	1209 / 30.3.12	14.52	341/14.2.13	0.36	4
4.	सवाईमानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	2026 / 30.3.13	26.30	24870/15.1.14	1.05	3
5.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी इंचार्ज, सीएचसी, पीपाड सिटी, जोधपुर	16 / 17.6.13	6.50	43017/27.3.14	0.76	3
6.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी इंचार्ज, सीएचसी, पीपाड़ सिटी, जोधपुर	15 / 17.6.13	8.00	43016/27.3.14	1.57	6
7.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी इंचार्ज, एचपीएचसी, भोपालगढ़, जोधपुर	25 / 12.6.13	8.00	44055/28.3.14	1.60	6
8.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी इंचार्ज, सीएचसी, भोपालगढ़, जोधपुर	26 / 12.6.13	6.50	44058/28.3.14	2.55	6
		योग	**648.07**	**योग**	**45.03**	

स्त्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान तथा संबंधित विभाग

अव्ययीत राशि को विलम्ब से जमा कराना, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 219 एवं 220(1) के प्रावधानों का उल्लंघन था।

(iv) राशियों के वास्तविक उपयोग के बिना एसी बिलों का समायोजन

मुख्यमंत्री नि:शुल्क जाँच योजना हेतु निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान ने ₹ 21.10 करोड़ का बजट आवंटित किया (18 मार्च 2013)। इसमें से ₹ 50 लाख की राशि प्रधान चिकित्सा अधिकारी, ब्यावर को आवंटित की गई जिसने एसी बिल के माध्यम से ₹ 50 लाख आहरित (मार्च 2013) किये और सचिव, राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी (आरएमआरएस), ब्यावर से प्राप्ति

रसीद के आधार पर डीसी बिल प्रस्तुत (मई 2013) किया। यह पाया गया कि राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी, ब्यावर को योजना के अंतर्गत नि:शुल्क जाँच हेतु राशि हस्तांतरित की गई तथापि, आरएमआरएस से व्यय का विवरण लिये बिना ही डीसी बिल प्रस्तुत किया, जोकि सही नहीं था।

2.8 निष्कर्ष एवं सिफारिशें

वर्ष 2013-14 के दौरान, ₹ 1,06,452.16 करोड़ की कुल अनुदानों एवं विनियोगों के समक्ष ₹ 96,718.25 करोड़ की राशि व्यय हुई एवं ₹ 9,733.91 करोड़ की बचतें रही। छः अनुदानों के अंतर्गत निरंतर बचतों की समीक्षा में पाया गया कि ₹ 1,957.25 करोड़ की बचतें मुख्यत: पदों के रिक्त रहने, योजनाओं के वार्षिक परिव्यय में कटौती, भारत सरकार से निधियों की अप्राप्ति/कम प्राप्ति, कार्यों के कम निष्पादन आदि के कारण हुई। 15 प्रकरणों में ₹ 1,435.14 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा 470 प्रकरणों में निधियों का पुनर्विनियोजन अविवेकपूर्ण रहा परिणामस्वरूप इन प्रावधानों से या तो बचतें रही या आधिक्य रहा। विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस को ₹ 9,233.15 करोड़ अभ्यर्पित किये गये जिससे इन निधियों का उपयोग अन्य विकास सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये करने की कोई गुंजाइश नहीं रही। चार प्रकरणों में, ₹ 65.31 करोड़ वास्तविक बचतों से अधिक अभ्यर्पित किये गये तथा 114 प्रकरणों में, ₹ 3,859.29 करोड़ का एकमुश्त प्रावधान किया गया, जिसमें से ₹ 3,477.58 करोड़ (90.1 प्रतिशत) अनुपयोजित रहे।

नियंत्रण/संवितरण अधिकारियों को बचतों विशेषत: उन विभागों में जहाँ निरन्तर बचतें पाई गई हैं, को टालने के लिये स्वीकृत आवंटन के समक्ष व्यय की प्रगति के लिये सावधानी पूर्ण एवं लगातार निगरानी रखनी चाहिये। उन्हें मासिक व्यय नियंत्रण तथा अनुश्रवण प्रक्रिया को भी विशेष रूप से सुदृढ़ बनाना चाहिये।

31 जुलाई 2014 तक ₹ 323.57 करोड़ के 1,082 सारांशीकृत आकस्मिक बिलों से संबंधित विस्तृत आकस्मिक बिल बकाया थे।

आहरित सारांशीकृत आकस्मिक बिलों के विरूद्ध अग्रिमों को निर्धारित समयावधि के भीतर समायोजित होने की सुनिश्चितता के लिये व्यवस्था सही करने के लिये कठोर तंत्र की आवश्यकता है।

₹ 26,081.89 करोड़ के कुल व्यय में से, ₹ 12,769.11 करोड़ की राशि (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 करोड़ से अधिक एवं कुल व्यय के 30 प्रतिशत से भी अधिक) वित्तीय वर्ष के अंतिम तिमाही में व्यय किये गये। इसमें से, ₹ 9,027.71 करोड़ अकेले मार्च 2014 में व्यय किये गये, जिससे वर्ष के अन्त में व्यय की प्रचुरता रही।

वर्ष के अन्त में में किये जाने वाले व्यय के आधिक्य की वजह से सम्बद्ध गुणवत्ता में होने वाले नुकसान को टालने के लिये विभाग को व्यय की प्रगति का वर्ष पर्यन्त ध्यानपूर्वक अनुश्रवण करना चाहिये।